वर्ण्य विषय

क्र0सं0	विवरण	पृष्ठ सं0
1.	संदेश	
2.	प्रवेश सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचनायें	02–03
3.	आवश्यक निर्देश जिन पर ध्यान देना आवश्यक है	04
4.	प्रवेश नियम, अर्हतायें	05–12
5.	शुल्क विवरण (प्रवेश, नामांकन, शिक्षण, परीक्षा, सांध्यकालीन कक्षायें आदि)	12–14
6.	शुल्क मुक्ति एवं निर्धन छात्र/छात्रा सहायता	15
7.	महाविद्यालय में विषयवार विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत स्थान	15–16
8.	महाविद्यालय में संचालित किये जा रहे स्वरोजगारपरक व व्यवसायिक पाठ्यक्रम	17–18
9.	शोध कार्य, परीक्षा फार्म एवं देय मुक्ति (No Dues)	18
10.	महाविद्यालय की विशिष्टतायें : पुस्तकालय वीडियो लाइब्रेरी, बुक बैंक, वाचनालय, विभागीय पुस्तकालय, पुस्तक डोनेशन स्कीम, छात्रावास (आजाद छात्रावास एवं महिला छात्रावास), जी0 सी0 आर0, कैफेटेरिया, कैरियर बिल्डिंग स्कीम, इण्टरनेट सेन्टर, क्रीडा तथा शारीरिक व्यायाम, जिम्नेजियम, तरणताल एवं स्टेडियम आदि।	19–21
11.	पदक, छात्रवृत्तियां व पारितोषिक आदि।	22
12.	आचार्य–कुल।	25
13.	महाविद्यालय में शैक्षिक, अकादमिक व प्रशासनिक कार्यों को सम्पन्न करने हेतु विभिन्न समितियां	29
14.	कार्यालय, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला स्टाफ।	32
15.	प्रवेश समितियां।	33–34
16.	रैगिंग विरोधी दल (पार्श्व पृष्ठ)	
17.	महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बर (पार्श्व पृष्ठ)	

प्रवेश सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचनायें–

01. कोई भी अभ्यर्थी जो इस कालेज में संस्थागत छात्र के रूप में 07 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण कर चुका है उसे पुनः इस कालेज में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

02. स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के छात्र/छात्रायें प्रवेश आवेदन पत्र भरकर उसे निर्धारित तिथि तक (जो कॉलेज द्वारा सूचना पट्ट पर घोषित की जायगी) जमा कर दें और उसकी रसीद प्राप्त कर लें। इसके उपरांत कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

03. बी0ए0/बी0एस–सी0 भाग दो एवं बी0काम0 भाग दो व तीन के समस्त प्रवेश सीधे प्राक्टर बोर्ड द्वारा किये जायेंगे। केवल बी0ए0/बी0एस–सी0 भाग तीन के प्रवेश सम्बन्धित प्रवेश समितियों द्वारा किये जायेंगे, परन्तु स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रवेश आवेदन पत्र सम्बन्धित विभाग में विभागाध्यक्षों को जमा करने होंगे।

04. आवेदन पत्र के साथ अन्तिम परीक्षा/प्रवेश योग्य बनाने वाली परीक्षा की अंकतालिका की प्रमाणित छाया प्रति लगायें।

05. यदि राष्ट्रीय/अन्तर्विश्वविद्यालय/प्रदेशीय/मंडलीय स्तर पर खेल–कूद प्रतियोगिता में भाग लिया है अथवा एन0सी0सी0 के 'बी' या 'सी' प्रमाण पत्र अथवा एन0एस0एस0 का लाभ मांगा गया है तो उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।

06. आरक्षण श्रेणी के छात्र सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।

07. सभी प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति पर अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

08. आवेदन पत्रों की प्राप्ति के उपरान्त योग्यता के आधार पर प्रवेश/चयन सूची कॉलेज सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होने की तिथि एवं समय सूची भी अंकित होगी, उसी के अनुसार सभी को प्रवेश के लिए उपस्थित होना होगा। **निर्धारित तिथि पर यदि कोई अभ्यर्थी उपस्थित होने में असमर्थ है तो अपने किसी निकट सम्बन्धी जैसे भाई–बहन, माता–पिता को प्रवेश के समय अवश्य भेज दें अन्यथा उसके प्रवेश का दावा समाप्त हो जायेगा।**

09. प्रवेश सम्बन्धी किसी भी विवाद के निवारण हेतु अभ्यर्थी अपील कर सकता है जिसकी सुनवाई प्राचार्य द्वारा नामित कालेज की एक प्रवेश समस्या निवारण समिति करेगी। ऐसी अपील/प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सुनी जायेगी। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को इस सम्बन्ध में स्वयं कॉलेज कार्यालय के नोटिस बोर्ड से जानकारी प्राप्त करनी होगी।

10. शुल्क की धनराशि जो कि विवरण पुस्तिका में लिखी गई है, उसे सम्बन्धित शुल्क काउंटर पर जमा करने के लिए साथ लायें।

11. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण पत्रों को साथ लाना अनिवार्य हैः–

    (i) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं निर्गमन प्रमाण पत्र (यदि अन्य कॉलेज/विश्वविद्यालय से आये हैं)

    (ii) चरित्र प्रमाण पत्र (अन्तिम संस्था के प्राचार्य द्वारा) यदि किसी ने व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रवेश योग्य बनाने वाली परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो अन्तिम शिक्षण संस्था के प्राचार्य द्वारा अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।

    (iii) अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज के फोटो की चार प्रतियां।

    (iv) सभी अंकतालिकाओं व अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां दिखाने के लिए साथ लानी होगी तथा उनकी अनुप्रमाणित छाया प्रति जमा करनी होगी।

12. जिन छात्रों ने स्नातक प्रथम वर्ष एव द्वितीय वर्ष की परीक्षा किसी अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, वे अगली कक्षा में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय से पहले अनुमति प्राप्त कर ले अन्यथा प्रवेश नहीं मिलेगा।

13. **बी0एस–सी0 के सेक्शन, प्रवेश के समय प्रवेश समिति द्वारा आवंटित कर दिये जाते हैं। बी0ए0 के सेक्शन प्रवेश के उपरान्त कार्यालय में स्लिप तैयार करके छात्रों को आवंटित किये जाते हैं।**

14. समय सारिणी से अपना सेक्शन देखकर शिक्षा ग्रहण करें। अभ्यर्थी प्रवेश के समय प्राप्त समय सारिणी (Time-Table) के अनुसार पठन–पाठन हेतु अपना सेक्शन देखकर कक्षों में जायें अन्य किसी प्रकार की दुविधा या अध्यापक की जानकारी हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से सम्पर्क करें।

15. **स्नातकोत्तर, विधि, बी0एड0 व बी0काम0 के छात्र/छात्राएं अपने सेक्षन की जानकारी अपने विभागाध्यक्ष से प्राप्त करें।**

16. कॉलेज के प्रत्येक छात्र/छात्रा को एक परिचय पत्र दिया जाता है। छात्रों को भली–भाँति सुरक्षित रूप से उसे अपने पास रखना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसे दिखा सकें। परिचय पत्र की दूसरी प्रति केवल विशेष परिस्थिति में कार्यालय में 25/–रू0 का भुगतान करने पर ही प्राप्त की जा सकती है। प्रवेश लेने के एक सप्ताह में परिचय पत्र बनवाना आवश्यक है, अन्यथा प्रवेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

17. जिन छात्र/छात्राओं ने इण्टरमीडिएट (कृषि) परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे बी0एस–सी0 में प्रवेश पाने के अधिकारी नहीं होंगे।

18. प्रवेश समिति द्वारा योग्यता क्रम के आधार पर सेक्शन आवंटित किये जायेंगे।

19. प्रवेश के उपरान्त विषय परिवर्तन (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) पूर्णतया वर्जित हैं।

20. बी0एस–सी0 तृतीय वर्ष के लिए द्वितीय वर्ष में लिए गये तीन विषयों में से कोई दो विषय (स्थान उपलब्ध होने पर) चुने जायेंगे। विषयों का चयन प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के आधार पर लिखें।

21. वर्तमान में सांध्यकालीन कक्षाओं की अनुमति नहीं है। शासन से अनुमति प्राप्त होने उपरान्त सांध्यकालीन कक्षाओं में प्रवेश भी उसी योग्यता सूची में से क्रमानुसार नीचे की सूची से दिया जायेगा।

नोट :–यदि शासन, **विश्वविद्यालय या महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उक्त नियमों में कोई परिवर्तन/ संशोधन किया जाता है तो वह नियम तत्समय स्वतः प्रभावी होगा।**

आवश्यक निर्देश जिन पर ध्यान देना अनिवार्य है :–

01. **विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार सत्र 2010–11 में सभी कक्षाओं में प्रवेश की अन्तिम तिथि 31 जुलाई, 2010 है। अतः सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्ह अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपना प्रवेश लेकर शुल्क अवश्य जमा कर दें। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपना प्रवेश** लेकर **शुल्क जमा नहीं करता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित अभ्यर्थी की होगी। 31 जुलाई, 2010 अथवा विश्वविद्यालय द्वारा घोषित प्रवेश की अन्तिम तिथि के उपरान्त कोई भी प्रवेश नहीं होगा।** प्राचार्य द्वारा बिना कारण बताये किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश देने से वंचित किया जा सकता हैं और दिये हुये प्रवेश को भी निरस्त किया जा सकता है।

02. **रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले यदि कोई छात्र/छात्रा रैगिंग करते हुए पाये जाते हैं तो उनके विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत निर्णय में इंगित बिन्दुओं के अनुपालन में कार्यवाही की जायेगी।**

03. **प्रत्येक छात्र/छात्रा की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।**

04. किसी भी अभ्यर्थी को सामयिक छात्र/छात्रा (Casual Student) के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

05. प्रवेश निरस्त कराने पर केवल परीक्षा शुल्क ही वापस किया जायेगा।

06. किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा (चाहें वह लाइसेन्स धारक भी हो) किसी भी प्रकार का हथियार कॉलेज में लाना वर्जित है।

07. **प्राचार्य कक्ष, कक्षाओं में पढ़ाई के समय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सेमीनार/कान्फ्रेंस, सभागार तथा परीक्षाओं इत्यादि में मोबाईल फोन का प्रयोग करना वर्जित है।**

08. कालेज प्रांगण में धूम्रपान, नशीले पदार्थों का प्रयोग, थूकना, गन्दगी करना, छिलके, पालीथीन आदि फेंकना तथा अशिष्ट भाषा का प्रयोग एवं व्यवहार पूर्णतया वर्जित है।

09. परीक्षा सुधार के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का अगली कक्षा में प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमानुसार किये जायेंगे।

10. सामान्यतः कॉलेज का समय प्रातः 8:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक है जिसमें समय सारिणी के अनुसार समस्त कक्षायें संचालित होती है।

11. खाली समय में छात्र/छात्रायें कॉलेज पुस्तकालय में जाकर ज्ञानवर्धक पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों आदि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

12. छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी समस्याओं के समाधान हेतु चीफ प्राक्टर/प्राक्टोरियल बोर्ड व अधिष्ठाता छात्र कल्याण (Dean Student Welfare) से सम्पर्क करें।

13. यदि छात्र/छात्रा की कोई विशेष समस्या है तो व्यक्तिगत रूप से चीफ प्राक्टर अथवा प्राचार्य से मिलने का समय निश्चित कर मिल सकते हैं।

14. छात्र/छात्राओं की विभागीय समस्याओं के समाधान हेतु विभागाध्यक्ष अधिकृत हैं।

15. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि महाविद्यालय परिसर में शालीन वस्त्र पहनेंगे।

16. बी0बी0ए0, बी0सी0ए0, वोकेशनल तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं के लिए परिचय–पत्र के अतिरिक्त एक Entry Card भी लेना आवश्यक है। उक्त पाठ्यक्रमों में छात्र/छात्राओं पर Dress Code भी लागू है जिसका उल्लेख सम्बन्धित पाठ्यक्रम की विवरण पुस्तिका में किया गया है।

17. किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति हेतु अर्ह विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन पत्र विवरण पत्रिका के साथ उपलब्ध है। छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों को भरकर सम्बन्धित काउन्टर पर निर्धारित तिथि तक अवश्य जमा कर दें।

प्रवेश–नियम व अर्हतायें
(सत्र 2010–11)
(खण्ड 'क')

1. विश्वविद्यालय के प्रत्येक डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश योग्यता के अनुसार किया जायेगा।

2. डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की अर्हता उस विषय के अध्यादेश में वर्णित योग्यता के अनुरूप होगी। जैसा कि नीचे उल्लेख है।

3. (क) विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति तभी दी जायेगी जब वह पूर्व कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो।

(ख) विद्यार्थी जो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में परीक्षा सुधार के हकदार हैं, उन्हें द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में प्रोन्नति दे कर प्रवेश की अनन्तिम अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि वे लिखित परीक्षा में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों। जैसी वस्तुस्थिति हो, परन्तु यह नियम उस स्थिति में ही लागू होगा जब सुधार परीक्षा–मुख्य परीक्षा के साथ सम्पन्न हो।

(ग) 3(ख) के अन्तर्गत प्रदत्त व्यवस्था केवल एल एल.बी. सहित स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों पर लागू (प्रयोज्य) होगी।

(घ) किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्र की परीक्षा सुधार परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होने की प्रत्याशा में अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। अर्थात प्रवेश के समय छात्र पाठ्यक्रम हेतु अर्ह होना चाहिए।

4. (क) परीक्षार्थियों को बी.ए./बी.एस–सी./बी.काम./एल एल.बी.(त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)/बी.बी.ए./बी.सी.ए. की परीक्षा अधिकतम 6 वर्ष की अवधि में एम.ए./एम.एस–सी./एम.काम./एल एल.एम./एम.बी.ए., पूर्णकालिक, 4 वर्ष की अवधि में और बी.एस–सी. (कृषि) एवं बी.टेक./बी.ई. पाठ्यक्रमों की परीक्षा 8 वर्ष की अवधि में और विधि पांच वर्षीय पाठयक्रम की परीक्षा 10 वर्ष में पूर्ण करना होगी। वर्ष की गणना उस शैक्षिक सत्र से की जायेगी जिस सत्र में विद्यार्थी ने प्रथम बार पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है या परीक्षा दी हो। यह नियम सत्र 2001–2002 से प्रभावी है। **यह नियम मात्र संस्थागत अभ्यर्थियों पर ही लागू होगा।**

(ख) यू.एफ.एम. के छात्रों को उतने वर्ष अधिक मिलेंगे जितने वर्ष तक वह परीक्षा से वंचित होते हैं।

5. परीक्षार्थी को 4 (क) में दर्शायी गयी अनुमन्य समय सीमा के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण/पूर्ण न करने पर पुनः उसी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

6. जो विद्यार्थी प्रयोगात्मक परीक्षा के कारण अनुत्तीर्ण हो जाते हैं उन्हें प्रयोगों को पूर्ण करने के लिए भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रवेश की अनुमति होगी।

7. विद्यार्थी को किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक कि वह उस पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं कर लेता है जिसमें वह पहले से प्रवेश ले चुका है। अर्थात् दो पाठ्यक्रम एक साथ करने की अनुमति नहीं होगी अर्थात् दोनों पाठ्यक्रमों में से किसी एक का चयन करने का विकल्प परीक्षार्थी को होगा।

8. विद्यार्थी एक स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश ले चुका है और तदन्तर वह अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश बिना पूर्व पाठ्यक्रम को पूर्ण किये ले लेता है तो उस दशा में पूर्व के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा/माना जायेगा और उसका शुल्क वापस नहीं होगा।

(अ) छात्र एक बार स्नातक उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त इस विश्वविद्यालय से पुनः अन्य किसी संकायान्तर्गत स्नातक उपाधि प्राप्त करने हेतु अर्ह नहीं होगा।

9. जो विद्यार्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम की परीक्षा के पार्ट (भाग एक, दो अथवा तीन) की परीक्षा में

अनुत्तीर्ण हो गये हैं उन्हें इस विश्वविद्यालय में प्रवेश अनुमत नहीं होगा, किन्तु विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों को स्नातक की अगली उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए अनुमत कर सकता है जिन्होंने पूर्व कक्षा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। परन्तु यह प्रवेश निम्न के अधीन होगा–

(क) सम्बन्धित विषय की पाठ्यक्रम समिति (बोर्ड ऑफ स्टडीज) के संयोजक एवं सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता की संस्तुति और प्रवेश समिति के अनुमोदन के पश्चात छात्र को प्रवेश दिया जायेगा और प्रवेश के समय उल्लिखित शर्तो को पूरा करना होगा।

(ख) ऐसे विद्यार्थी विश्वविद्यालय के निर्धारित सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर सकेंगे।

(ग) यह स्नातकोत्तर, प्रबन्धन, अभियान्त्रिकी आदि कक्षाओं पर लागू नहीं होगा।

(घ) किसी अन्य विश्वविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग (नकल) में दंडित छात्र का प्रवेश किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं होगा।

10. जिन विद्यार्थियों नें अदीब/अदीब–ए–माहिर/अदीब–ए–कामिल/फाजिल उत्तीर्ण किया है वे (10+2) न होने पर स्नातक एवं (10+2+3) न होने पर परास्नातक में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।

11. (क) जिन विद्यार्थियों ने किसी भी स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है उसे उसी पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(ख) एक विषय से स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रो को संस्थागत रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। किन्तु प्रयोगात्मक विषय वाले छात्र को प्राचार्य की अनुमति से कक्षा में पढ़ने की अनुमति होगी किन्तु वह संस्थागत छात्र नहीं माना जाएगा। और ऐसे छात्रों की संख्या स्वीकृत कुल सीटों की संख्या के अतिरिक्त मानी जायेगी अर्थात ये स्थान अधिसंख्य होंगे, ऐसे छात्र संस्थागत परीक्षा फार्म भरेंगे। एक विषय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अपने पूर्व के स्ट्रीम में ही प्रवेश/परीक्षा दे सकेंगे।

12. स्नातकोत्तर स्तर के समस्त विषयों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक स्तर की परीक्षा 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों (जिनका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न है) के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों (स्नातक स्तर की परीक्षा में) की बाध्यता नहीं होगी।

13. बी.एड. (वोकेशनल), बी.एड. (स्पेशल), एम.एड. (स्पेशल) एप्लाईड, एल एल.बी. , एम.एस–सी./एल एल.एम./बी.ई./बी.टेक. /कक्षाओं में प्रवेश सम्मिलित प्रवेश परीक्षा के द्वारा होंगे। जब तक राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति कोई अन्य प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित न करे।

14. विश्वविद्यालय द्वारा यथाशीघ्र ही एक समतुल्यता समिति का गठन किया जायेगा जो अन्य संस्थानों द्वारा प्रदत्त उपाधियों के विवादों, परीक्षा प्रणाली, पत्राचार पाठ्यक्रम और अन्य समस्याओं का निस्तारण करेगी।

15. इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय में पीएच.डी. के लिये पंजीकृत विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के अन्य किसी उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए तब तक अर्ह नहीं होंगे जब तक वह अपना शोध ग्रन्थ सम्बन्धित विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर देते हैं तथा प्रव्रजन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय में जमा नहीं करते।

16. विश्वविद्यालय परिसर और इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के किसी पाठ्यक्रम में दूसरे विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक वह पाठ्यक्रम समतुल्य समिति/संकायाध्यक्ष से अनुमोदित नहीं हो। ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश जिसका अनुमोदन समतुल्य समिति/संकायाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, में प्रवेश देने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उसके सुनिश्चित परिणामों (आर्थिक, छात्रों का अहित आदि) के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

17. जिस छात्र ने स्नातकोत्तर उपाधि पहले से ही संस्थागत या व्यक्तिगत रूप से अर्जित कर ली हो, उसको नियमित अर्थात संस्थागत छात्र के रूप में एल.एल.एम./एम.एड. मास्टर ऑफ रूरल डब्लपमेन्ट एण्ड मैनेजमैन्ट (MRDM) को छोड़कर अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

18. विदेशी छात्र जब तक विश्वविद्यालय से प्राप्त अपेक्षित पात्रता–प्रमाण पत्र और समस्त विश्वासी अभिलेख जनपद के पुलिस विभाग एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निकासी प्रमाण सहित कालेज के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है तब तक उसे किसी भी कालेज के द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यही नियम विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विभागों पर समान रूप से लागू होगा।

19. जिस विद्यार्थी ने एक शैक्षिक सत्र में उपस्थिति पूर्ण कर ली हो और वह परीक्षा में नहीं बैठता या विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे पुनः उसी कक्षा या पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश नहीं दिया जायेगा। वह भूतपूर्व छात्र के रूप में आवेदन करने हेतु अर्ह होगा।

स्पष्टीकरण – जो छात्र प्रवेश लेने के पश्चात् अन्यत्र कहीं चला जाता है और परीक्षा फार्म आदि नहीं भरता है, वह अगले वर्ष भू.पू. छात्र के रूप में तभी सम्मिलित होगा जब उसने संस्थागत छात्र के रूप में 75% उपस्थिति पूर्ण कर ली हो।

20. एम.एस–सी. (सभी विषय) एवं एम.ए. (गणित, भूगोल, मनोविज्ञान, संगीत, चित्रकला, गृहविज्ञान) में प्रवेश के लिये निम्न अतिरिक्त नियम निहित होगा।

(क) निर्धारित संख्या से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता शर्त उपयुक्त नियमों के अनुसार त्रिवर्षीय बी.एस–सी. और बी.ए. परीक्षा में द्वितीय श्रेणी के अंक (45% से किसी भी दशा में कम न हो) और एम.एस–सी./एम.ए. सम्बन्धित ऐच्छिक विषय जिसमें प्रवेश चाहता है उसमें 45 प्रतिशत अंक होना चाहिये। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों (जिनका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न है) को नियमानुसार 5% प्राप्तांकों की छूट होगी अर्थात उनके लिए 40% होगा।

स्पष्टीकरण – जिन विषयों में परास्नातक के प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होंगे वहाँ सम्बन्धित विषय में 45% अंकों का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

(ग) छात्र एम.एस–सी. एम.ए. में प्रवेश के लिए उन्हीं विषयों में आवेदन कर सकता है जिन विषयों में उसने स्नातक अन्तिम स्तर पर एक प्रमुख विषय के रूप में उत्तीर्ण की हो।

(घ) विधि तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत एल एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने के लिए वही छात्र प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे जिन्होंने स्नातक स्तर पर 40% अंक प्राप्त किये हों।

स्पष्टीकरण – 39.5 को 40% मानते हुए छात्र प्रवेश परीक्षा हेतु अर्ह माना जायेगा।

(च) मास्टर आफ ला (एल एल–एम.) डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए वे छात्र अर्ह होंगे जिन्होंने इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय जो इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है,की एल एल.–बी. डिग्री (त्रिवर्षीय) / एल एल.बी. पांच वर्षीय प्राप्त की हो। एल एल–एम. प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश लिखित परीक्षा के आधार पर योग्यता सूची द्वारा किया जायेगा।

(छ) एल एल–बी. पाठ्यक्रम के एक सेक्शन में 60 से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

21. (क) अनुचित साधनों का प्रयोग का प्रयास करने वाले छात्रों को, विश्वविद्यालय परीक्षा में अभद्र व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों की शिकायत प्राप्त होने पर उन्हें किसी भी महाविद्यालय अथवा परिसर के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ख) वह विद्यार्थी जो पुलिस अभिलेखों के अनुसार हिस्ट्रीशीटर है अथवा अपराध में दोषी सिद्ध पाया गया है अथवा किसी अपराधिक मुकदमें में शामिल है को किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि पहले से प्रवेश पा चुका है तो उसका प्रवेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त हो जायेगा।

(ग) महाविद्यालयों के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के कुलपति महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने की

दृष्टि से किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश अथवा पुनः प्रवेश को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकता है, मना कर सकता है भले ही मामला जैसा भी हो।

(घ) किसी भी महाविद्यालय में नियमों के विरुद्ध विद्यार्थियों के किए गये प्रवेश मान्य नहीं होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संख्या से अधिक प्रवेश को कुलपति द्वारा निरस्त करने का अधिकार होगा।

(ड.) जो विद्यार्थी प्राचार्य/प्राक्टोरियल स्टाफ सहित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं सहपाठियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, गुण्डागीरी, रैगिंग अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अधिकारी वर्ग के प्रति निन्दनीय वातावरण का सृजन करेगा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा भविष्य में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

22. (क) बी.एड. और एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। विश्वविद्यालय के द्वारा निहित प्रवेश के सामान्य नियम भी बी.एड. और एम.एड. के विद्यार्थियों पर लागू होंगे।

स्पष्टीकरण— बी.एड. तथा एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जयपुर (एन.सी.टी.ई.) के निर्धारित नियमों के अन्तर्गत ही प्रवेश लिये जायेंगे। यद्यपि विश्वविद्यालय के सामान्य प्रवेश नियम भी प्रभावी रहेंगे। ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने स्नातक स्तर पर वर्ष 1988 अथवा उसके बाद 14 वर्षीय शिक्षा ग्रहण की है तो वह परास्नातक स्तर पर प्रवेश के अर्ह नहीं है। अर्थात् 11+3 या 10+2+2 या 10+1+3 ऐसे छात्रों को एक वर्ष ब्रिजकोर्स निर्धारित पाठ्यक्रम में से करना होगा। जिन छात्रों ने वर्ष 1987 अथवा इससे पूर्व स्नातक परीक्षा द्विवर्षीय पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण की है उन्हें ब्रिजकोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। जिन छात्रों ने एक वर्ष का परास्नातक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है उन्हें परास्नातक के द्वितीय वर्ष के लिए ब्रिजकोर्स करना अनिवार्य नहीं है।

(ख) बी.एस–सी. (कृषि) के प्रथम वर्ष में प्रवेश योग्यता के आधार पर होगा। कृषि सहित इण्टरमीडिएट या इण्टरमीडिएट (विज्ञान) जीव विज्ञान (बायोग्रुप) न्यूनतम योग्यता होगी। ऐसे प्रवेशार्थी जिन्होंने इण्टरमीडियेट विज्ञान (गणित ग्रुप) से उत्तीर्ण किया है उनके प्रवेश पर भी विचार किया जायेगा लेकिन उनकी योग्यता का आगणन उनकी योग्यता सूची से 5 प्रतिशत अंक घटाकर किया जायेगा। **स्पष्टीकरण—** गणित विषय की यह शर्त व्यक्तिगत छात्रों पर भी लागू होगी।

(ग) बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अतिरिक्त वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्होंने स्नातक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किये हों।

एन.सी.टी.ई. के मानकों के अनुसार यदि स्नातक परीक्षा में 45% अंक नही हैं तो उसी स्ट्रीम में परास्नातक परीक्षा में 45% अंक होना अनिवार्य होंगे, तभी छात्र बी.एड. प्रवेश परीक्षा हेतु अर्ह होंगे।

(घ) बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक परीक्षा में 45% अंक हैं किन्तु एन.सी.टी.ई. के मानकों के अनुसार यदि छात्र के स्नातक परीक्षा में 45% अंक नहीं हैं तो बी.ए./बी.एस–सी./बी.कॉम. वाले स्नातकोत्तर उपाधि में 45% अंक अवश्य होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि ही उत्तीर्ण होना चाहिये।

(ङ) बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हता इण्टरमीडिएट गणित विषय होगी।

23. एम.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रवेशार्थी को बी.काम. परीक्षा 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये नियमानुसार 5% अंकों की छूट अनुमन्य होगी। ऐसे प्रवेशार्थी जिन्होंने बी.ए./बी.एस–सी. अर्थशास्त्र अथवा गणित प्रमुख विषय के रूप में सहायक/गौण विषय के रूप में नहीं लिया है, को एम.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परन्तु जिन अभ्यर्थियों ने बी.ए./बी.एस–सी. में अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय उत्तीर्ण किया है उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। यह नियम संस्थागत छात्रों पर ही लागू होगा। बी.काम. या एम.काम. में किसी प्रकार के डिप्लोगा चाहे वह बोर्ड आफ एजूकेशन, उत्तर प्रदेश अथवा अन्य किसी बोर्ड से पास किया हो, के आधार पर छात्र प्रवेश का पात्र नहीं माना जायेगा। इस प्रकार के डिप्लोगा को मान्यता प्रदान करने वाले पूर्व के सभी निर्णयों को निरस्त माना जायेगा।

24. बी.बी.ए. और बी.सी.ए. विश्वविद्यालय के अन्य स्नातक उपाधियों के समतुल्य हैं। बी.बी.ए. का परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी एम. काम. और एम.ए. अर्थशास्त्र और बी.सी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी एम.एस–सी. गणित और कम्प्यूटर साइन्स में भी प्रवेश के लिए अर्ह होंगे। बी.बी.ए./बी.सी.ए. का विद्यार्थी भी किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अथवा विश्वविद्यालय के अन्य किसी भी पाठ्यक्रम में जिसकी न्यूनतम योग्यता स्नातक है, प्रवेश के लिए अर्ह होंगे।

25. बाहर के विश्वविद्यालय के एक उपवेशन (सिटिंग) में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए पात्र नहीं होंगे।

26. जिन विद्यार्थियों ने जामिया–ई–उर्दू, अलीगढ़ से अदीब कामिल परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे इस विश्वविद्यालय के किसी भी अध्ययन/पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।

27. जिन अभ्यर्थियों ने यू.पी. बोर्ड एवं विश्वविद्यालय द्वारा मान्य अन्य किसी बोर्ड से इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। (हाई स्कूल स्तर की परीक्षा ऐसे अभ्यर्थियों ने चाहे किसी भी बोर्ड से उत्तीर्ण की हो।

28. उ.प्र. माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, संस्कृत भवन, लखनऊ, द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा को इण्टर के समकक्ष मानते हुए स्नातक में प्रवेश हेतु अर्ह माना गया है।

29. जिन विद्यार्थियों ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से मध्यमा परीक्षा अथवा शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की है वे बी.ए./एम.ए. संस्कृत विषय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अर्ह होंगे।

    स्पष्टीकरण— सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की शास्त्री एवं संस्कृत के उपाधि प्राप्त छात्र बी.एड. में प्रवेश हेतु अर्ह है। शिक्षण विषय हेतु हिन्दी, संस्कृत एवं शास्त्री उपाधि में जो विषय होंगे उन्हीं विषय में शिक्षण कार्य भी कर सकेंगे।

30. बाह्य विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र का नाम स्नातक में अतिरिक्त एकल विषय के लिए नामांकन विचारणीय नहीं होगा। इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र अपने ही स्ट्रीम में एकल विषय की परीक्षा दे सकते हैं।

31. किसी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में बैठने के लिए अनुमत तब तक नहीं किया जायेगा जब तक वह अपनी पूर्व कक्षा/वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है। महाविद्यालय/विभाग परीक्षा फार्म अस्थायी/अनन्तिम रूप से प्रवेश प्राप्त परीक्षार्थियों का परीक्षा फार्म पूर्व कक्षा/वर्ष के परीक्षा परिणाम को सत्यापित किये बिना अग्रसारित नहीं करेंगे।

32. जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश, परीक्षा के माध्यम से होगा उन पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अर्थात जो अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है, वह किसी भी दशा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा।

33. प्रवेश समिति दिनांक 5/3/02 के बिन्दु सं0 6 (1) के अन्तर्गत लिया गया निर्णय निम्नवत है:– ''सामान्य रूप से निश्चय किया गया कि जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये जाते हैं उनकी योग्यता सूची, मात्र प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही की जायेगी।''

34. बी.टेक., बी.फ़ार्मा., उत्तीर्ण छात्र बी.एड. प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे किन्तु ऐसे छात्र बी.एस–सी. उत्तीर्ण छात्रों की भांति स्नातकोत्तर कक्षा/एल.एल.बी. में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

खण्ड–'ख'

विशेष निर्देशः–

1. धर्म जाति और लिंग के भेदभाव बिना प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर श्रेष्ठता सूची से प्रवेश लिये जायेंगे। (महिला महाविद्यालयों को छोड़कर)

2. (क) शासन आदेश अनुरूप महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय छात्रावासों में प्रवेश हेतु स्वीकृत सीटों में से अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े जाति के छात्रों के लिए 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत क्रमशः स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे। छात्रावास में आरक्षित स्थान तब तक रखे जायेंगे जब तक प्रवेश की तिथि समाप्त न हो।

   (ख) विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रवेश में क्रमशः 03 प्रतिशत, 02 प्रतिशत तथा 01 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

   स्पष्टीकरण– विकलांगों की सभी श्रेणियों (दृष्टिहीन/कम दृष्टि/श्रवण ह्रास) एवं पालन निःशक्तता या प्रभास्तिकीय अंग घात के लिए पृथक–पृथक एक प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश सुनिश्चित किया जाये।

   (ग) यदि अनुसूचित जनजाति के छात्र प्रवेश हेतु उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के छात्रों से भरे जायेंगे। यदि किसी भी आरक्षित श्रेणी में सीटें रिक्त रहती हैं तो उसे सामान्य सीटें मानकर भरी जायेंगी। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो स्थाई रूप से उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं।

3. अन्य प्रदेश के छात्रों के लिए (मेरिट) योग्यता के आधार पर प्रत्येक पाठ्यक्रम में केवल 5 प्रतिशत स्थान ही प्रवेश हेतु आरक्षित किये जायेंगे और बाहर के सभी छात्र सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।

4. सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों (अभिभावक) के स्थानान्तरण अथवा सेवा–बर्खास्तगी/माता–पिता के स्वर्गवास/छात्रा के विवाह के फलस्वरूप कुलपति के आदेश से अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रवेश इस शर्त पर दिये जा सकते हैं कि वे प्रवेश के लिये पात्रता रखते हों। ऐसे प्रवेश 31 अक्टूबर के उपरान्त नहीं लिये जायेंगे और इनके लिए सीटें निर्धारित सीटों के अतिरिक्त होंगी।

5. प्रवेश के लिए ज्येष्ठता सूची तैयार करते समय प्रतिवर्ष के अन्तराल के 02 अंक घटाकर प्रवेश ज्येष्ठता सूची तैयार की जायेगी। लेकिन 03 वर्ष से अधिक अन्तराल पर प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगा।

6. ऐसा कोई छात्र स्नातक पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा जिसने 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु 10+2+3 परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। शोध कक्षाओं यथा एम.फिल. एवं पी.एच–डी. में प्रवेश हेतु भी छात्र का 10+2+3 के अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त होना अनिवार्य है।

7. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय की सूची संलग्न है। सामान्यतः महाविद्यालय के विषयों की कक्षा में 60 छात्रों को ही प्रवेश दिये जायेंगे और विशेष परिस्थिति में कुलपति महोदय 60 के स्थान पर 80 छात्रों के प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं या विषय की सम्बद्धता के पत्र में अंकित संख्या तक ही प्रवेश दिये जा सकते हैं। शासन एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना किसी भी महाविद्यालय द्वारा कोई प्रवेश नहीं किया जायेगा।

8. प्रवेश हेतु तैयार की गई मेरिट सूची में निम्न विशिष्ट योग्यताओं के अतिरिक्त भारांक प्रदान किये जायेंगे।

(अ)	राष्ट्रीय अथवा अन्तर विश्वविद्यालय, खेल कूद प्रतियोगिता में भागीदारी और खेलकूद में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए भारांक	10 अंक
(ब)	विश्वविद्यालय टीम में प्रतिनिधित्व	05 अंक
(स)	विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय के (सेवारत, सेवानिवृत्त) कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी	10 अंक

(द)	एन.सी.सी. के ''सी'' प्रमाण पत्र अथवा ''बी'' प्रमाण पत्र		
	''जी II '' प्रमाण पत्र	10 अंक	एक
	और ''बी'' और ''जी प्रथम'' प्रमाण पत्र के लिए	05 अंक	अधिकतम
(ड)	एन.एस.एस के दो शिविर पूर्ण करने तथा		
	240 घंटे की सेवायें	10 अंक	एक
	एन.एस.एस. का एक शिविर तथा 240 घंटे की सेवायें	05 अंक	अधिकतम
	240 घंटे अथवा 120 घंटे तथा एक शिविर		
	या		
	12वीं कक्षा स्तर तक स्काउट/गाइड तृतीय सोपान परीक्षा उत्तीर्ण करने पर	05 अंक	
	या		
	प्रदेश के राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत	10 अंक	
	भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत	10 अंक	
	रोवर्स/रेंजर्स निपुण परीक्षा उत्तीर्ण	05 अंक	

नोटः–किसी भी स्थिति में किसी भी छात्र को 10 अंक से अधिक भारांक नहीं दिये जायेंगे। शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रदत्त श्रेणी की मान्यता यथावत रहेगी–अर्थात् भारांक के आधार पर प्रभावित नहीं होगी।

9. स्पोर्टस कोटे के अन्तर्गत राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खिलाड़ी के प्रवेश हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कुलपति महोदय द्वारा प्रवेश हेतु विशेष अनुमति दी जा सकती है परन्तु यह नियम प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सम्पन्न होने वाले प्रवेश पर लागू नहीं होगी अर्थात जहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये जायेंगे, उन पर प्रवेश के लिये कुलपति अनुमति नहीं देंगे।

   स्पष्टीकरण– बी.एड. और एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। बी.एड. व एम.एड. तथा रोजगार परक पाठ्यक्रम के प्रवेश पर स्पोर्ट्स कोटा मान्य नहीं होगा।

10. परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु उसी विषय में प्रवेश लिया जा सकेगा जिन विषयों में उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो एवं अन्तिम वर्ष में जो विषय चुने गये हों। परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु योग्यता सूची छात्र के स्नातक के तीनों वर्ष के प्राप्तांक (प्रायोगिक परीक्षा को छोड़कर) तथा जिस विषय में प्रवेश चाहता है उसके अंक को सम्मिलित करते हुए योग्यता सूची तैयार की जायेगी। महाविद्यालय स्तर पर तैयार की गयी योग्यता सूची एवं प्रतीक्षा सूची की एक प्रति विश्वविद्यालय भेजी जायेगी एवं एक प्रति महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जायेगी। जिन कक्षाओं में विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करेगा उन्हीं कक्षाओं में प्रवेश महाविद्यालय योग्यता सूची से करेगा।

    बी.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश सामान्यतः उन छात्रों को दिये जायेगे जिन्होंने इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) अथवा समतुल्य परीक्षा कामर्स से उत्तीर्ण की हो। बी.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु 5 प्रतिशत अंक उन छात्रों को प्रदान किये जायेंगे जिन्होंने इण्टरमीडिएट अथवा समतुल्य परीक्षा कामर्स से उत्तीर्ण की है। ऐसे छात्र जिन्होंने इण्टरमीडिएट परीक्षा विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि से उत्तीर्ण की है एवं बी.ए. में प्रवेश चाहते हैं उनके 5 प्रतिशत अंक घटाकर योग्यता सूची तैयार की जायेगी तथा निर्धारित सीमा के अन्दर ही प्रवेश अनुमन्य किये जायेंगे।

11. प्राचार्य किसी भी छात्र को संस्था के हित में एवं अनुशासन बनाने के उद्देश्य के लिए बिना कारण बताये प्रवेश के लिए मना कर सकते हैं। किसी भी छात्र का प्रवेश नियमों के विपरीत पाये जाने पर कुलपति/प्राचार्य उसे निरस्त कर सकते हैं।

12. ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातक उपाधि अन्य किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त की हो वह इस विश्वविद्यालय से एकल विषय ब्रिज कोर्स की परीक्षा के लिए अर्ह नहीं होंगे।

13. एम.ए. कक्षा में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत सीटें नॉन स्ट्रीम छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। नान स्ट्रीम के अन्तर्गत गणित, भूगोल, मनोविज्ञान, संगीत, चित्रकला, गृहविज्ञान विषयों में प्रवेश मान्य नहीं होंगे।

14. छात्र जिस श्रेणी (अर्थात सामान्य शुल्क, भुगतान शुल्क, अप्रवासी भारतीय (NRI) शुल्क सांध्यकालीन कक्षाओं एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम वाली सीटों) में प्रवेश लेता है उसी श्रेणी में पूरे पाठ्यक्रम में अध्ययन करेगा। यह श्रेणी अपरिवर्तनीय होगी। सामान्यतः किसी भी श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रवेश स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

15. एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में छात्रों का पारस्परिक स्थानान्तरण केवल समान कक्षा में वि0 वि0 के अनुमोदन के पश्चात संभव होगा एवं स्थानान्तरण कराये जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए छात्र को दोनों प्राचार्यों से अनापत्ति प्रमाण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। यह सुविधा केवल एक बार ही अनुमन्य होगी, परन्तु शुल्क का हस्तान्तरण नहीं होगा। स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों से अनुदानित महाविद्यालयों में कोई स्थानान्तरण नहीं होगा।

16. जिन पाठ्यक्रमों में किसी सक्षम समिति/अधिकारी से अनुमोदन आवश्यक है उसे प्राप्त करने के बाद ही प्रवेश दिया जाये।

17. स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत लिये गये प्रवेश सामान्य योजना में अन्य किसी महाविद्यालय में स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार सामान्य योजना के अन्तर्गत किये गये प्रवेश स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत किसी भी महाविद्यालय में स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे।

18. विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश सम्बन्धित विभाग में उपलब्ध नियमों के अनुरूप किये जायेंगे।

19. डिप्लोमा एवं पी. जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु क्रमशः इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 45% अनिवार्य हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को नियमानुसार 5 % अंकों की छूट होगी।

20. महाविद्यालयों में चले रहे विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में न्यूनतम प्रवेश संख्या 10 होगी। न्यूनतम प्रवेश संख्या पूर्ण न होने की स्थिति में पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना संभव नहीं होगा। साथ ही अधिकतम प्रवेश संख्या 40 निर्धारित की जाती है, इससे अधिक प्रवेश किसी भी स्थिति में अनुमन्य नहीं होंगे।

21. जो भी छात्र संस्थागत रूप में प्रवेश लेता है और वह कहीं पर सरकारी या गैर सरकारी नौकरी कर रहा है तो वह अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा और साथ ही साथ पाठ्यक्रम की अवधि दौरान छुट्टी लेगा अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

यदि यह तथ्य छात्र छुपाता है और अध्ययन के दौरान विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के संज्ञान में बात आती है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

शुल्क विवरण :–

01. कालेज में पूरे वर्ष का शुल्क शासन के आदेशानुसार प्रवेश के समय एक बार में ही लिया जायेगा।

02. **शासन के आदेश संख्या 1960/सत्तर/–2–97–2(85)/97/11–11–97 के अनुसार कुछ विषय स्ववित्त पोषित योजना में स्वीकृत हुए हैं। जिनका शुल्क कालेज के शुल्क के अतिरिक्त प्रवेश के समय अभ्यर्थियों के द्वारा लिए गये विषय के आधार पर अतिरिक्त रूप में देय होगा।**

03. परीक्षा फार्म शुल्क रू0 50/– फार्म लेते समय छात्र/छात्रा द्वारा नकद देय होगा।

04. छात्राओं के शिक्षण शुल्क में शासनादेश संख्या 1533/70–4/2004–46(50) 98 दिनांक 18.06.2004 के अनुसार छूट प्रदान की गई है।

05. कार्य दिवसों में शुल्क जमा करने का समय प्रातः 10:00 बजे से 1:00 बजे तक तथा शनिवार को प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक होगा।

(प्रवेश, नामांकन, शिक्षण, परीक्षा आदि शुल्क का विवरण)

तालिका–1 बिना प्रयोगिक विषयों का सामान्यतः शुल्क पूर्व से ही निम्नवत् है–

क्र0 सं0	विवरण	बी0ए0 / बी0काम0 बी0एस–सी0 (रू0)	एम0ए0 / एम0काम0 एम0एस–सी0 (रू0)	विधि (रू0)	बी0एड0 (रू0)
1	शिक्षण शुल्क	132.00	180.00	180.00	216.00
2	प्रवेश शुल्क	3.00	3.00	3.00	3.00
3	पंजीकरण	1.00	1.00	1.00	1.00
4	मंहगाई भत्ता	42.00	42.00	42.00	42.00
5	सर्द–गर्म	58.00	58.00	58.00	58.00
6	पुस्तकालय	15.00	15.00	15.00	15.00
7	खेलकूद	120.00	120.00	120.00	120.00
8	छात्र–कल्याण कोष	12.00	12.00	12.00	12.00
9	निर्धन छात्र सहायता कोष	12.00	12.00	12.00	12.00
10	रीडिंग रूम	18.00	18.00	18.00	18.00
11	काशनमनी कला / विज्ञान	5.00 / 10.00	5.00 / 10.00	5.00	5.00
12	परिचय पत्र	10.00	10.00	10.00	10.00
13	वार्षिक उत्सव	3.00	3.00	3.00	3.00
14	स्थापना	24.00	24.00	24.00	24.00
15	विकास शुल्क	30.00	30.00	30.00	30.00
16	कल्चरल / एकेडेमिक परिषद	12.00	12.00	12.00	12.00
17	अनुदान	140.00	140.00	140.00	140.00
18	पूर्व छात्र परिषद कोष	1.00	1.00	1.00	1.00
19	बी0एड0 टीचिंग शुल्क				1100.00
20	बी0एड0 ऑडिट शुल्क				200.00
21	चिकित्सा शुल्क	12.00	12.00	12.00	12.00
22	रोवर्स / रेंजर्स	12.00	12.00	12.00	12.00
23	इण्टरनेट	24.00	24.00	24.00	24.00
24	साइन्स ब्रेकेज	25.00	50.00		
25	साईकिल स्टैण्ड शुल्क	25.00	25.00	25.00	25.00
26	(अ) परीक्षा शुल्क (नॉन प्रैक्टिकल)	585.00	585.00	635.00	635.00
	(ब) परीक्षा शुल्क (प्रैक्टिकल सहित) शुल्क एम0ए0 / एम0काम0 उत्तरार्द्ध	635.00	635.00		
	(स) मौखिक परीक्षा शुल्क		50.00		
	(द) डिजर्टेशन		200.00		
27	नामांकन शुल्क (केवल स्नातक प्रथम वर्ष)	100.00			
28	उपाधि शुल्क (केवलस्नातक एवं स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष)	150.00	150.00	150.00	150.00

नोटः–

1. शासन / विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में यदि परीक्षा शुल्क या किसी अन्य मद में वृद्धि होती है, तो वह धनराशि अतिरिक्त रूप में देय होगी।
2. क्रम संख्या 17, 18, 19 20, 21, 22, 23 में अंकित शुल्क विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 46–अ के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति के निर्णयानुसार लिया जाता है।

तालिका–II

प्रयोगात्मक विषयों का शुल्क रू0 48/– प्रति विषय है।
(संगीत, सैन्य अध्ययन, ललित कला, सांख्यिकी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान)

तालिका–III

स्ववित्त पोषित विषयों का शुल्क शासनादेश संख्या **1960/सत्तर/–2–97 –2(85)/97/11–11–97 है। यह शुल्क तालिका I तथा II के अतिरिक्त देय होगा।**

01.	गृहविज्ञान	1500.00
02.	भूगोल	1500.00
03.	मनोविज्ञान	1500.00
04.	पर्यावरण	3000.00
05.	बायोटेक्नोलॉजी	3000.00
06.	बी0सी0ए0	20600+500 काशनमनी+635 परीक्षा शुल्क + 100 नामांकन शुल्क
07.	बी0बी0ए0	15600+500 काशनमनी + 635 परीक्षा शुल्क + 100 नामांकन शुल्क
08.	बी0लिब0 साइंस	13100+2000 काशनमनी + 635 परीक्षा शुल्क + 150 डिग्री शुल्क
09.	एम0एड0	72230+2000 काशनमनी + 635 परीक्षा शुल्क + 150 डिग्री शुल्क

नोट :–

विष्वविद्यालय के पत्रांक रू0 वि0/कुलसचिव/एफ0–09/2005/1377 – 1477 दिनांक 26.04 2005 के अनुसार स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में प्रति छात्र रू0 100/– उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त विश्वविद्यालय विकास शुल्क लिया जायेगा।

अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों से प्रवेश के समय लिए जाने वाला शुल्क–

सभी अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अर्ह विद्यार्थियों को पूर्ण शुल्क सुविधा एवं परीक्षा शुल्क शासन से प्राप्त होता है। ऐसी सुविधा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को यह आवश्यक है कि प्रवेश के समय निर्धारित प्रार्थना–पत्र पर आवेदन करें और साथ में आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र अवश्य लगायें। ऐसे छात्र जिनके माता–पिता की आया 100000/– रू0 प्रति वर्ष से अधिक है वे यह सुविधा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जांच के दौरान किसी छात्र का प्रवेश किसी दूसरे महाविद्यालय में पाये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। निम्न वार्षिक शुल्क शासन द्वारा देय नहीं है– छात्र सहायता, छात्र कल्याण परिषद, योगदान, परिचय पत्र, बोनाफाईड, वार्षिक उत्सव, काशनमनी, चिकित्सा शुल्क, रोवर–रेंजर्स, इण्टरनेट बी0एड, टीचिंग एवं बी0एड0, ऑडिट, कल्चरल एकेडेमिक परिषद, साइंस ब्रिकेज अनुदान, अनुदान कम्युनिटी सेन्टर, पूर्व छात्र परिषद, छात्र संघ एवं भूगोल, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान का प्रयोगात्मक शुल्क देय होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग/सामान्य वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों के लिए भी उक्त के अनुरूप छात्रवृत्ति शासनादेश संख्या डिग्री अर्थ–3/260–1260/2003–04 दिनांक 24.06.2004 के अनुसार देय है।

शिक्षण शुल्क मुक्ति एवं निर्धन छात्र/छात्रा सहायता–

1. **कॉलेज में पूरे वर्ष का शुल्क एक ही किश्त में लिया जायेगा।**

2. शिक्षण शुल्क मुक्ति सुविधा प्राप्त करने अथवा निर्धन छात्र सहायता कोष से सहायता प्राप्त करने के इच्छुक सभी छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक है कि वह निर्धारित पत्र (1.00 रू0 मूल्य का) कार्यालय काउन्टर नं0 37 से खरीदकर एवं उसको भरकर सम्बन्धित शुल्क लिपिक को कार्यालय काउन्टर पर निर्धारित तिथि तक आवश्य जमा करें। जिन छात्रों ने किसी दूसरे कॉलेज से इसी वर्ष यहां प्रवेश लिया है उनकी यदि पहले शुल्क मुक्ति थी तो उस प्रमाण पत्र की फोटों स्टेट प्रति संलग्न करें तथा सभी छात्र अपने पिता/संरक्षक की आय के प्रमाण पत्र की प्रति एवं अन्तिम परीक्षा की अंक तालिका की फोटो स्टेट प्रति संलग्न करें।

3. शुल्क मुक्ति एवं निर्धन छात्र/छात्रा सहायता प्राप्त करने के लिए केवल वास्तविक निर्धन विद्यार्थी ही प्रार्थना पत्र दें।

4. जिन छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क मुक्ति की सुविधा दी जायेगी उनकी सूची कार्यालय सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगा। वे सम्बन्धित लिपिक से अपना शुल्क चैक द्वारा वापस लें।

5. निर्धन छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षण शुल्क मुक्ति के अतिरिक्त पुस्तकों की सुविधा भी दी जाती है। यदि कोई छात्र असाध्य रोग से पीड़ित हो जाता है अथवा किसी दुर्घटना में या खेल कूद में गम्भीर रूप से घायल हो जाता है तो उसकी दवा आदि का प्रबन्ध किया जाता है। अन्य आर्थिक सहायतार्थ छात्र/छात्रायें स्वयं डीन/चीफ प्राक्टर व अपने विभाग के अध्यक्ष से सम्पर्क करें।

6. शिक्षण शुल्क मुक्ति हेतु प्राध्यापकों की प्रत्येक कक्षा हेतु समितियां हैं जो शुल्क मुक्ति की संस्तुति करती है।

महाविद्यालय में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत विषय एवं स्थान :–

कला संकाय

स्नातकोत्तर (एम0ए0) में उपलब्ध स्थान

क्र0सं0	विषय	विश्वविद्यालय/शासन द्वारा स्वीकृत स्थान
1.	हिन्दी	80
2.	अंग्रजी	160
3.	संस्कृत	80
4.	उर्दू	80
5.	दर्शनशास्त्र	80
6.	भारतीय इतिहास (आधुनिक, मध्य कालीन, प्राचीन)	160
7.	अर्थशास्त्र	240
8.	राजनीति शास्त्र	80
9.	समाज शास्त्र	160
10.	ड्राइंग एवं पेटिंग	25
11.	गणित	80
12.	सैन्य अध्ययन	20
13.	सांख्यिकी	20
14.	भूगोल (स्ववित्त पोषित)	60

स्नातक (बी0ए0) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम–बी0ए0 प्रथम वर्ष में उपलब्ध स्थान : 1840

प्रत्येक छात्र/छात्रा को चार विषय लेने आवश्यक है। उनमें सामान्य अंग्रेजी अथवा हिन्दी भाषा अनिवार्य विषय है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य कोई तीन विषय अध्ययन हेतु चयनित करने होंगे।

हिन्दी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू, फारसी, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र,

सैन्य अध्ययन, भारतीय संगीत गायन एवं वादन (तबला एवं सितार), शिक्षाशास्त्र, ड्राइंग एण्ड पेंटिंग, गणित तथा सांख्यिकी, स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत विषय–भूगोल, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अरबी।

टिप्पणी :

1. निम्नलिखित साहित्यक विषयों में से केवल दो ही साहित्यक विषय लिए जा सकते हैं।
   (1) हिन्दी साहित्य (2) अंगेजी साहित्य (3) उर्दू (4) संस्कृत (5) फारसी (6) अरबी
2. संगीत केवल वही विद्यार्थी ले सकेंगे जिन्होंने इण्टर परीक्षा संगीत विषय लेकर उत्तीर्ण की है।
3. **प्रायोगिक विषयों में से केवल दो विषयों का ही चयन किया जा सकता है।**
4. **सांख्यिकी विषय के साथ गणित विषय लेना अनिवार्य है।**
5. जिन छात्र/छात्राओं ने हाईस्कूल/माध्यमिक परीक्षा विशेष हिन्दी लेकर उत्तीर्ण नहीं की है उन्हें प्रथम वर्ष में प्राथमिक हिन्दी विषय लेना अनिवार्य है।
6. **शिक्षाशास्त्र एवं दर्षनशास्त्र विषय एक साथ नही लिए जा सकते हैं।**
7. बी0ए0 तृतीय वर्ष के लिए बी0 ए0 द्वितीय वर्ष में लिए गये ऐच्छिक तीन विषयों में से कोई दो विषय (स्थान उपलब्ध होने पर) लेने होंगे। विषयों का चयन प्रथम एवं द्वितीय वरीयता आधार पर लिखें।

विज्ञान संकाय

स्नातकोत्तर (एम0एस–सी0) प्रथम वर्ष में उपलब्ध स्थान

क्र0सं0	विषय	पूर्व में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत स्थान
1.	भौतिक शास्त्र	30
2.	रसायन शास्त्र	50
3.	प्राणिशास्त्र	22
4.	वनस्पति शास्त्र	20
5.	साख्यिकी	25
6.	सैन्य अध्ययन	40
7.	गणित	120
8.	पर्यावरण (स्ववित्त पोषित)	30

स्नातक (बी0एस–सी0) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम : प्रथम वर्ष में उपलब्ध सेक्षन

गणित समूह : 880 स्थान

(अ) गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र
(ब) गणित, रसायन शास्त्र एव सांख्यिकी
(स) गणित, भौतिक शास्त्र एवं सांख्यिकी
(द) गणित, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी (बी0एस–सी0)
(य) गणित, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी (बी0ए0)
(र) गणित, अर्थशास्त्र एवं भूगोल (बी0ए0)

प्राणि समूह : 720 स्थान

(अ) प्राणिशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र एवं रसायन शास्त्र
(ब) प्राणिशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र एवं सैन्य अध्ययन
(स) रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र एवं बायोटैक्नॉलोजी
(द) रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवं बायोटैक्नॉलोजी
(य) प्राणिशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र एवं पर्यावरण विज्ञान
(र) रसायनशास्त्र, जन्तु विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान

नोट :– बायोटैक्नोलॉजी तथा पर्यावरण में 80–80 स्थान स्वीकृत हैं, जिनमें प्रवेश मैरिट के आधार पर होंगे।

वाणिज्य संकाय
उपलब्ध स्थानों का विवरण

एम0काम0 (पूर्वाद्ध) – 240 स्थान
बी0 काम0 (प्रथम वर्ष) – 1040 स्थान

विधि संकाय : स्थान : 320

एल–एल0बी0 (प्रथम सेमेस्टर व तृतीय सेमेस्टर एवं तृतीय वर्ष) एल–एल0बी0 में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से मैरिट के अनुसार किये जाते हैं। एल–एल0बी0 तीनों वर्षों के लिए बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम लागू हैं।

बी0 एड0 संकाय :

बरेली कालेज, बरेली में चलने वाले एक वर्षीय बी0 एड0 सामान्य पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद उत्तर क्षेत्रीय समिति जयपुर द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। शिक्षकों के अधिस्नातक विषयों से सम्बन्धित विभिन्न शिक्षण विषयों में शिक्षण की व्यवस्था है। इसमें प्रवेश हेतु छात्र संख्या का निर्धारण नियुक्त स्थायी शिक्षकों की संख्या के अनुसार ही होता है।

एम0 एड0 : (स्ववित्त पोषित)–25 स्थान

बरेली कालेज, बरेली में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत एम0 एड0 में प्रवेश विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त होने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गयी मैरिट पर व शासनादेश के आधार पर किये जायेंगे।

बी0बी0ए0 संकाय :

बी0बी0ए0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 220 सीटें हैं। प्रवेश मेरिट इन्डेक्स के आधार पर किया जायेगा। विशेष जानकारी हेतु अलग से प्रकाशित बी0बी0ए0 विवरण पत्रिका का अवलोकन करें।

बी0सी0ए0 संकाय :

बी0सी0ए0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में वे सभी छात्र जो 10+2 पाठ्यक्रम गणित एवं अंग्रजी विषयों से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुये हैं, प्रवेश पा सकेंगे। कुल 140 सीटें हैं। विशेष जानकारी हेतु अलग से प्रकाशित बी0सी0ए0 विवरण पत्रिका का अवलोकन करें।

बी0 लिब0 संकाय : (एक वर्षीय व्यावसायिक डिग्री पाठयक्रम)

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 40 स्थान उपलब्ध हैं। पात्रता : 45 प्रतिशत अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक कक्षा उत्तीर्ण।

उपरोक्त विषयों / संकायों के अतिरिक्त स्वरोजगारपरक व व्यवसायपरक डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कार्यक्रम सुव्यवस्थित व सुचारू रूप से संचालित होते हैं, जिनका विवरण एवं अन्य जानकारियां निम्नवत् हैं–

क्र0 सं0	डिप्लोमा का नाम	अवधि	केन्द्र / विषय विभाग	संयोजक का नाम जिनसे सम्पर्क किया जाये
01.	पी0जी0 डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन,	01 वर्ष	कम्प्यूटर विज्ञान	डॉ0 आर0के0 श्रीवास्तव
02.	डिप्लोमा इन फोटोग्राफी	01 वर्ष	ललितकला	डॉ0 आर0 एस0 पुण्ढीर
03.	डिप्लोमा इन मूर्तिकला	01 वर्ष	"	"
04.	डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग	01 वर्ष	"	"
05.	डिप्लोमा इन इन्टीरीयर डिजाइनिंग	01 वर्ष	"	"
06.	डिप्लोमा इन टैक्सटाइल प्रिन्टिंग	01 वर्ष	"	"
07.	पी0जी0 डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमैन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस	01 वर्ष	वाणिज्य	डॉ0 ए0 के0 मिश्रा
08.	पी0जी0 डिप्लोमा इन प्रोफेशनल बायोटैक्नोलॉजी	01 वर्ष	बायोटैक्नालॉजी	डॉ0 कबिन्द्र सिंह
09.	पी0जी0 डिप्लोमा इन इनवायरन्मैन्ट मैनेजमैंट	01 वर्ष	वनस्पति विज्ञान	डॉ0 डी0के0 सक्सेना

10.	पी0जी0 डिप्लोमा इन ई–कामर्स	01 वर्ष	वाणिज्य विभाग	डॉ0 एस0के0 बैजल
11.	पी0जी0 डिप्लोमा इन मॉडर्न अरेबिक	01 वर्ष	अरबी	डॉ0 महमूद हुसैन
12.	पी0जी0 डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, मास कमन्यूकेशन एण्ड मीडिया टैक्नीक्स	01 वर्ष	राजनीतिशास्त्र	डॉ0 वन्दना शर्मा
13.	पी0जी0 डिप्लोमा इन टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमैंट	01 वर्ष	इतिहास	डॉ0 जोगा सिंह होठी
14.	डिप्लोमा इन योगा एण्ड नैचुरोपैथी	01 वर्ष	दर्शनशास्त्र	डॉ0 ए0सी त्रिपाठी

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विष्वविद्यालय (इग्नू) अध्ययन केन्द्र :–

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) दूरस्थ शिक्षा की उच्चतम संस्था हैं, जो हमारे देश में बहुत कम व्यय पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विख्यात है। हमारे महाविद्यालय में इग्नू का एक सुव्यस्थित अध्ययन केन्द्र 1987 से कार्य कर रहा है। इस अध्ययन केन्द्र पर अनेकों अल्पकालिक एवं दीर्घ कालिक शैक्षणिक कार्यक्रम उपलब्ध हैं, जिनमें स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र तथा पब्लिक एडमिनस्ट्रेशन में एम0ए0, एम0काम0 तथा एम0एस0डब्ल्यू0 प्रमुख हैं। स्नातक स्तर पर बी0ए0, बी0काम0, बी0एस–सी0, बी0टी0एस0, बी0एस0डब्ल्यू0 आदि उपलब्ध हैं। हाई स्कूल पास के बिना बी0ए0 अथवा बी0काम0 करने के लिए बीपीपी कार्यक्रम उपलब्ध है, जो अत्यन्त लोकप्रिय है। कम्प्यूटर के क्षेत्र में एम0सी0ए0, बी0सी0ए0 तथा सी0आई0सी0 कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इनके अतिरिक्त एम0बी0ए0 तथा बी0 एड0 में भी छात्रों की अधिक रूचि रहती है, जिसके कारण इनकी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। व्यवसायिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत लगभग 50 डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारी के लिए इग्नू केन्द्र में डॉ0 कविन्द्र सिंह (फोन नं0–0581–2568841) से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विष्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र :–

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1999 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलाहाबाद में की गयी थी। बरेली कालेज में भी इसका केन्द्र हैं। इस केन्द्र पर 41 डिग्री/डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट के कार्यक्रम उपलब्ध हैं। कोई भी संस्थागत छात्र इसके द्वारा प्रवेश लेकर एक अतिरिक्त पाठ्यक्रम अपनी पढ़ाई के साथ–साथ पूरा कर सकता है। केन्द्र पर बी0लिब0, एम0लिब0, एम0बी0ए0, जे0एम0सी0, डी0सी0डी0ए0एन0 के कोर्स सफलतापूर्वक चल रहें हैं। बी0ए0 तथा बी0एस–सी0 में एकल विषय लेने की विशेष सुविधा है। इसके अतिरिक्त इस केन्द्र पर एम0ए0 एजुकेशन में स्पॉट एडमीशन की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए डॉ0 आर0बी0 सिंह से रसायन विज्ञान विभाग में सम्पर्क करें। (दूरभाष नं0–9415608746)

शोध कार्य :–

विभिन्न विभागों में शोध कार्य की सुविधा उपलब्ध हैं। महाविद्यालय के कई विभागों में यू0जी0सी0, सी0एस0आई0आर0, आई0सी0एम0आर0, डी0एस0टी0, आई0सी0ए0आर0, डी0आई0ई0 आदि संस्थानों की लघू एवं वृहद्ध शोध योजनायें चल रहीं हैं। इन विभागों में शोध छात्रवृत्तियां भी प्राप्त होती हैं।विभिन्न विषयों में सुयोग्य निर्देशक शोध कार्य कराते हैं:–

वाणिज्य संकाय –	वाणिज्य	शोध शुल्क	2400/–रू0
कला संकाय –	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास	शोध शुल्क	2400/–रू0
	भूगोल, ललित कला, गणित, सैन्य अध्ययन, सांख्यिकी	शोध शुल्क	3600/–रू0
विज्ञान संकाय –	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, सैन्य अध्ययन	शोध शुल्क	4800/–रू0

परीक्षा फार्म भरने एवं देय मुक्ति (No Dues) प्राप्त करने इत्यादि के सम्बन्ध में नियम :–

01. परीक्षा फार्म पूर्ण रूप से भरकर सम्बन्धित अनुभाग में जमा करें तथा जमा करने की रसीद सम्बन्धित कर्मी के हस्ताक्षर से प्राप्त करना अनिवार्य है, ताकि बाद में फार्म जमा करने या न करने का विवाद न हो।
02. **परीक्षा फार्म पूर्ण रूप से भरकर कार्यालय में जमा करना विद्यार्थी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। फार्म जमा करने की तिथि समाचार पत्रों एवं सूचना पट्ट पर घोषित की जायेगी।**

03. परीक्षा फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि का कड़ाई से पालन होता है। यदि उस समय तक परीक्षा फार्म जमा नहीं किया तो अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह जायेगा।

04. परीक्षा का प्रवेश पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यालय शुल्क लिपिक से देय–मुक्ति पर भी हस्ताक्षर करा लें।

05. पुस्तकालय से देय मुक्ति अपनी सुविधानुसार फरवरी माह के अन्तिम सप्ताह तक करा लें क्योंकि परीक्षा के (प्रवेश पत्र) अनुक्रमांक प्राप्त करने के लिए देय–मुक्ति कराना अनिवार्य है।

06. पुस्तकालय से देय–मुक्ति करने के उपरान्त किसी भी छात्र को पुस्तकालय से कोई भी पुस्तक नहीं मिलेगी।

07. विश्वविद्यालय में शोध प्रबन्ध जमा करने से पूर्व महाविद्यालय व सम्बन्धित विभाग से **देय–मुक्ति (No Dues)** लेना अनिवार्य है तथा एक शोध प्रबन्ध प्राचार्य को (गोपनीय रूप से संरक्षित रखने के लिए) जमा करना होगा।

महाविद्यालय की विशिष्टतायें

मुख्य पुस्तकालय :–

कालेज में एक भव्य पुस्तकालय भवन है, जिसमें विभिन्न विषयों की 1,70,000 से अधिक पुस्तकें और ग्रन्थ हैं। प्रति वर्ष नई पुस्तकें क्रय करके इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। शोध एवं स्नातकोत्तर छात्र/छात्राओं को पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने की सुव्यवस्थित सुविधा है।

01. **शोध पत्र–पत्रिकायें** –छात्र/छात्राओं के लिए लगभग 360 देश और विदेश की शोध पत्र–पत्रिकायें हैं जिनका उपयोग स्नातकोत्तर छात्र/छात्रायें एवं शोधार्थी नियमित रूप से करते हैं।

02. **बुक बैंक (पुस्तक सहायता)** –ऐसे निर्धन छात्र/छात्रायें जो पुस्तक खरीदने में असमर्थ है उनके लिए बुक बैंक सुविधा रखी गयी है। छात्र/छात्राओं को लम्बी अवधि के लिए पुस्तकें दी जाती हैं, जिन्हें वे परीक्षा समाप्ति पर वापस करते हैं। ऐसी सुविधा प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को पुस्तकों के मूल्य का 25 प्रतिशत जमा करना होता है, जो उन्हें पुस्तक जमा करते समय कुछ कटौती कर वापस कर दिया जाता है। इच्छुक छात्र/छात्रायें निर्धारित प्रार्थना पत्र मूल्य 10.00 रू0 पुस्तकालय से खरीदकर पुस्तकालय में जमा करें।

03. **वाचनालय** – कालेज में दो वाचनालय हैं, एक छात्रों के लिए, दूसरा छात्राओं के लिए। इनमें अनेक प्रसिद्ध दैनिक, साप्ताहिक मासिक पत्र–पत्रिकायें पाठनार्थ उपलब्ध रहती हैं।

04. **विभागीय पुस्तकालय** – स्नातकोत्तर विभागों में पृथक –पृथक पुस्तकालय हैं जहां से छात्र/छात्रायें इन विषयों से सम्बन्धित पुस्तकें एवं पत्र–पत्रिकायें प्राप्त कर सकते हैं, इन विभागों में यू0जी0सी0 द्वारा अनुदान की पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। विभागीय सदस्य उनकी देखभाल करते हैं।

05. **पुस्तक डोनेशन स्कीम** – निर्धन छात्र/छात्राओं के उपयोगार्थ एक डोनेशन/दान योजना का प्रावधान किया गया है जिसमें उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें अपनी इच्छानुसार अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों को दान कर सकते हैं, जिसका लाभ निर्धन छात्र/छात्रायें उठा सकते हैं। नई पुस्तकें दान करने वाले छात्र/छात्रा को प्राचार्य द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

छात्रावास :– कालेज प्रांगण मे दो छात्रावास (पुरूष तथा महिला के पृथक–पृथक) स्थित है जिसकी व्यवस्था वार्डन के माध्यम की जाती है। इच्छुक छात्र/छात्रायें छात्रावास की विवरण पत्रिका खरीदकर छात्रावास फीस एवं नियमावली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बी0एस–सी0, बी0बी0ए0/बी0सी0ए0 तथा बी0एड0 में प्रवेश लेने वाले बाहर के छात्र/छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश के लिए वरीयता दी जायेगी।

01. **आजाद छात्रावास** – यह छात्रावास दो मंजिला है जिसमें 100 छात्रों के रहने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त इन्डोर गेम्स, मैस तथा बिजली पानी की समुचित व्यवस्था है।

02. **महिला छात्रावास** – इस छात्रावास में 100 छात्राओं के रहने की समुचित व्यवस्था है। प्रत्येक छात्रा को पंखा, स्टडी टेबिल, शयनिका, ड्रेसिंग रूम और शौचालय तथा स्नानगृहों की व्यवस्था है। यहीं नहीं इस छात्रावास के प्रत्येक कमरे के सामने लॉन है और छात्रावास के परिसर में एक विशाल लॉन है। यह छात्रावास पूर्ण रूप से सुरक्षित है।

जी0सी0आर0 :– इसमें एक साथ लगभग 500 छात्राओं के लिए लॉन, हॉल, कैफेटेरिया की सुविधा है। इसी में छात्राओं का कॉलेज से सम्बन्धित सभी कार्यों के लिए छात्रा कार्यालय भी बना है, ताकि छात्राओं को अनावश्यक रूप से कोई समस्या न हो।

कैफेटेरिया :– छात्र/छात्राओं के लिए अलग–अलग कैफेटेरिया की व्यवस्था है, जिसमें छात्र सूक्ष्म जलपान ग्रहण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त छात्राओं के लिए जी0सी0आर0 में ही कैफेटेरिया की व्यवस्था है जहां छात्रायें अपने खाली समय में इसका प्रयोग करती हैं।

कैरियर बिल्डिंग स्कीम एवं इण्टरनेट सेन्टर :– बरेली कालेज में कैरियर कौंसलिंग सैन्टर द्वारा महाविद्यालय के विद्यार्थियों को कैरियर सम्बन्धी जानकारी प्रदान की जा रही है। गत वर्ष परीक्षा में सत्तर प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले 20 विद्यार्थियों को निःशुल्क एक वर्ष में एक घंटे तथा साठ से सत्तर प्रतिशत अंक पाने वाले तीस विद्यार्थियों को रियायती दर पर इण्टरनेट संचालन सीखने एवं उसके माध्यम से आधुनिकतम जानकारी प्राप्त करने की सुविधा है। इसके अतिरक्त पी0सी0एस0, आई0पी0एस0, आई0ए0एस0, एम0बी0ए0, प्रोबेशनरी ऑफिसर, इंजीनियरिंग, प्री–मेडिकल आदि की परीक्षाओं में बैठने के इच्छुक छात्र/छात्राओं की प्रति सत्र में दो बार परीक्षा सम्पादित की जायेगी तथा उसके अधार पर छात्र/छात्राओं को इस योग्य बनाया जायेगा ताकि प्रवेश परीक्षा में वे सफलता प्राप्त कर सकें। उक्त सी0बी0एस0 स्कीम में रूचि रखने वाले छात्र/छात्राओं को प्रति परीक्षा एवं प्रति छात्र महाविद्यालय के किसी भी अन्य शुल्क के अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा। इसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्र/छात्रायें सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए **डॉ0 अगम दयाल श्रीवास्तव, रीडर, जन्तु विज्ञान विभाग से सम्पर्क करें।**

खेल, क्रीडा तथा शारीरिक व्यायाम आदि :– कॉलेज में एक स्पोर्ट्स काउन्सिल का गठन किया गया है जो खेल, क्रीडा तथा शारीरिक व्यायाम के लिए आवश्यक सुविधायें सुलभ बनाने के लिए निर्णय लेती हैं। यहां की क्रीडा परिषद का कार्य राष्ट्रीय/प्रान्तीय व विश्वविद्यालय स्तर पर सराहनीय रहता है। कॉलेज के अपने अनेक स्थल तथा मैदान हैं जिनमें फुटबाल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बॉलीबाल, बैडमिन्टन, बास्केटबाल आदि बाह्य तथा अन्तःद्वारी क्रीडायें सम्पन्न की जाती हैं। खेलों की अनेक सुविधायें कॉलेज में सुलभ हैं। इस महाविद्यालय के सभी खेल के मैदान राष्ट्रीय स्तर के हैं।

जिम्नेजियम :– कॉलेज में एक हैल्थ केयर सैन्टर व मार्शल आर्ट सैन्टर भी हैं। जहां शारीरिक व्यायाम के लिए आधुनिक उपकरण हैं। यह प्रातः तथा सायं को संचालित किया जाता है। जो शारीरिक व्यायाम के सम्पूर्ण साधनों से युक्त हैं। इसकी देखभाल शारीरिक व्यायाम विशेषज्ञों के द्वारा होती है। एक नये जिम्नेजियम हॉल का निर्माण हो चुका है, मात्र वूडन फ्लोरिंग बनना शेष है, जिसके इस शिक्षा सत्र में पूर्ण होने की सम्भावना है।

तरण ताल :– तैराकी के लिए एक सुन्दर व आकर्षक तरण–ताल है।

स्टेडियम :– कॉलेज में सीढ़ियों वाला खुला स्टेडियम भी है जिसमें लगभग 2000 छात्र/छात्राओं को समायोजित करने की क्षमता है।

योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र :– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यायों में योग शिक्षा और अभ्यास–संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विवेकानन्द केन्द्र योग अनुसंधान संस्थान बैंग्लौर से सम्बद्धता प्राप्त यह केन्द्र अनुभवी योग शिक्षकों के निर्देशन में 20 मई 1998 से कार्यरत हैं। DYN और YIC में प्रवेश हेतु विवरण पुस्तिका कार्यालय में उपलब्ध है, जिसमें पाठ्यक्रम शुल्क आदि का पूर्ण विवरण हैं। इसके लिए **श्री ए0 सी0 त्रिपाठी,** प्रवक्ता, दर्शनशास्त्र विभाग से सम्पर्क करें।

क्र0सं0	पाठ्यक्रम	कोर्स की अवधि	कुल स्थान	अर्हता
01.	डिप्लोमा इन योग एण्ड नैचरोपैथी (DYN)	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)	30	स्नातक
02.	योग इन्स्ट्रक्टर कोर्स (YIC)	तीन माह		10+2
03.	योग फॉर पॉजिटिव हैल्थकोर्स	एक माह		निर्धारित नहीं

नेशनल कैडिट कोर (एन0सी0सी0) :– इस कॉलेज में 1963 से एन0सी0सी0 (N.C.C.) प्रशिक्षण प्रारम्भ हुआ है। जिसमें छात्र/छात्राओं को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक की दो–दो सीनियर डिवीजन कम्पनियां हैं। प्रत्येक वर्ष कॉलेज के कई कैडिट एन0सी0सी0 में कीर्तिमान स्थापित करते हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त करते हैं तथा कॉलेज का गौरव बढ़ाते हैं। यहां की एन0सी0सी0 की उपलब्धियां राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय रहती हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0) :– समाज व राष्ट्र के जीवन को निकट से देखने तथा सेवा का उच्च दर्शन ग्रहण करने हेतु संस्था में **एन0एस0एस0 की 06 इकाईयां** रचनाशील हैं। **इनमें तीन छात्रों व तीन छात्राओं के लिए हैं।** इसके अन्तर्गत सेवा, श्रमदान व दस दिवसीय शिविर का निकट के गांव में आयोजन किया जाता है।

रोवर्स व रेंजर्स :– अनुशासन, सतर्कता व सेवा के शील को स्थापित करता स्काउट गाइड आन्दोलन का उच्च शिक्षा में स्वरूप रोवर्स व रेन्जर्स का संगठन इस संस्था में गतिशील है। इसमें रोवर्स की एक इकाई तथा रेन्जर्स की एक इकाई कार्यरत हैं।

छात्र कल्याण परामर्शदात्री समिति :— विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को उठाने, सुविधाओं को बढ़ाने एवं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए एक छात्र कल्याण परामर्शदात्री समिति है, जिसमें विभिन्न कक्षाओं के दो छात्र/छात्राओं जिन्हें सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, सदस्य मनोनीत होते हैं। इनके अतिरिक्त अच्छे खिलाड़ी, कैडेट और वाद—विवाद प्रतियोगिता में कीर्तिमान स्थापित करने वाले विद्यार्थी भी मनोनीत होते हैं। इस समिति में विभिन्न समितियों के संयोजक, प्राध्यापक, लाईब्रेरियन, क्रीडा अधिकारी भी सदस्य होते हैं। इस समिति की बैठक में छात्र/छात्राओं के छात्र कल्याण कोषों की आय—व्यय एवं छात्र/छात्राओं की समस्याओं पर विचार—विमर्श करके कार्यवाही की जाती है।

शैक्षिक सांस्कृतिक परिषद :— महाविद्यालय में शैक्षिक सांस्कृतिक परिषद का गठन किया गया है। यह परिषद छात्र/छात्राओं की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक प्रतिभा का परिमार्जन करने के लिए सत्रमय वाद—विवाद, भाषण, समूह—संभाषण, काव्य पाठ, प्रश्नोत्री, निबन्ध लेखन, नृत्य नाटक एवं संगीत आदि प्रतियोगिताओं का आयेजन करती है। यह परिषद राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं एवं तिथियों को विधिवत् समारोहित करती है।

प्राक्टोरियल बोर्ड :— कॉलेज में एक चीफ प्राक्टर, चार महिला प्राक्टर सहित एक प्राक्टोरियल बोर्ड का गठन किया गया है, जो कॉलेज में अनुशासन बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है। समस्त छात्र/छात्राओं को चीफ प्राक्टर द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। ये निर्देश समय—समय पर प्राक्टर कार्यालय से निर्गत किये जाते हैं।

रिसर्च प्रोमोशन समिति :— विभिन्न विषयों में शोधार्थियों को प्रोत्साहित करने, शोध के क्षेत्र में गुणवत्ता के परिवर्धन के लिए तथा शिक्षकों में शोध के प्रति प्रतिबद्धता के लिए शोध परियोजनायें, शोध विचार संगोष्ठियां, कार्यशाला तथा आमंत्रित विद्वान विषय विशेषज्ञों के भाषण आयोजित करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। जिसमें शोध में विशेष रूचि रखने वाले विद्वान शिक्षक सदस्य होते हैं।

यू0जी0सी0 समिति :— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त परियोजनाओं एवं प्रपत्रों को अनुदान प्राप्त करने के लिए भेजने तथा महाविद्यालय में यू0जी0सी0 से सम्बन्धित समस्त कार्यों को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

पूर्व विद्यार्थी संगठन :— कॉलेज में पूर्व विद्यार्थी संगठन हैं। कॉलेज में प्रवेश लेने वाला प्रत्येक विद्यार्थी इसका सदस्य होता है। प्रवेश के समय प्रत्येक विद्यार्थी से एक रूपया वार्षिक सहायता शुल्क के रूप में लिया जाता है।

साईकिल शेड :— साईकिल/मोटर साईकिल/स्कूटर पर आने वाले छात्र/छात्राओं के लिए कॉलेज में निजी साईकिल शेड है। सभी छात्र/छात्राओं को अपने वाहन नियत शेड में ताला लगाकर रखना चाहिए। कॉलेज के वरामदे, कोरीडोर्स, विभागों अथवा कार्यालय में वाहन लाना निषिद्ध है। छात्र/छात्राओं के लिए कॉलेज के मुख्य द्वार (पूरब और पश्चिम) पर दोनों ओर साईकिल शेड हैं। साईकिल लाने वाले प्रत्येक छात्र/छात्रा से पूरे सत्र के लिए मात्र रू0 40/— तथा मोटर साईकिल/स्कूटर आदि लाने वाले से रू0 70/— तथा चार पहिया वाहन लाने वाले से रू0 200/— वार्षिक शुल्क लिया जाता है।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र :— कॉलेज में बी0एड0 विभाग परिसर में छात्र/छात्राओं की प्राथमिक चिकित्सा हेतु प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित है। एक कुशल एवं योग्य डॉक्टर तथा चतुर्थ श्रेणी सहायक चिकित्सा केन्द्र पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध रहते हैं।

रेलवे कन्सेशन :—

01. जो छात्र/छात्रायें निकटवर्ती क्षेत्रों से रेल द्वारा प्रतिदिन कॉलेज आते हैं, उन्हें आवेदन करने पर मासिक, त्रैमासिक, अर्द्ध वार्षिक रेलवे कन्सेशन उपलब्ध होगी।
02. छात्र/छात्राओं को कॉलेज अवकाश के दिनों में अपने घर (स्थाई पते पर) जाने के लिए कन्सेशन की सुविधा प्राप्त होती है।
03. खेलकूद प्रतियोगिता अथवा किसी शैक्षणिक पर्यटन पर जाने के लिए भी यह सुविधा समूह के रूप में रेलवे परिनियमावली के अनुसार उपलब्ध है।

सूचना पट्ट :— कॉलेज के दोनों प्रवेश द्वारों के पास बैरियरों पर, कार्यालय, पुस्तकालय एवं सभी विभागों में सूचना पट्ट लगे हुए हैं। छात्राओं के लिए जी0सी0आर0 (Girls Common Room) में भी सूचना पट्ट लगे हैं। छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वे समय—समय पर इन सूचना पट्टों को अवश्य देखते रहें जिससे उनकों महत्वपूर्ण सूचनायें प्राप्त होती रहें।

शिकायत पेटिका :— छात्र/छात्राओं की शिकायत पर समुचित कार्यवाही हेतु एक शिकायत पेटिका प्राचार्य कार्यालय में तथा दूसरी शिकायत पेटिका चीफ प्राक्टर कार्यालय पर लगी हैं।

महाविद्यालय में मेधावी तथा प्रतिभा छात्र/छात्राओं को सम्मानित किया जाता है। विशेष रूप से निबन्ध लेखन, भाषण प्रतियोगिता, खेलकूद, एन0एस0एस0, एन0सी0सी0, अनुशासन तथा पठन–पाठन आदि में सर्वश्रेष्ठ व महत्वपूर्ण तथा सराहनीय कार्य के लिए इनका चयन होता है।

विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को विशिष्ट रूप से विभिन्न पदक, पारितोषिक व छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिनका विवरण निम्न है:–

पदक एवं छात्रवृत्तियां तथा पारितोषिक :–

01. टैम्पलटन स्वर्ण पदक	**बी0ए0 की परीक्षा** में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र को प्रदान किया जाता है।
02. पं0 लाल चन्द्र स्वर्ण पदक	**बी0ए0 प्रथम वर्ष** में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र को दिया जाता है।
03. लाला नन्हेमल स्वर्ण पदक	**बी0ए0 तृतीय वर्ष** की परीक्षा में **हिन्दी** में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र को।
04. पं0शिव नारायण शास्त्री स्वर्ण पदक	**बी0ए0 तृतीय वर्ष** की परीक्षा में **संस्कृत** में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र को।
05. प्रसन्नो बाई स्वर्ण पदक	नियमित रूप से उपस्थित रहने वाले तथा उत्तम चरित्र वाले छात्र को।
06. भूतपूर्व छात्र स्वर्ण पदक	सर्वश्रेष्ठ एम0ए0/एम0एस–सी0 के छात्र को दिया जाता है।
07. प्रतिभा कुमारी रजत पदक	प्रतिवर्ष होने वाली निबन्ध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाली छात्रा को।
08. डी0 सी0 जोशी स्वर्ण पदक	एम0ए0 द्वितीय वर्ष की **अर्थशास्त्र** की परीक्षा में अधिकतम अंक पाने वाले छात्र को।
09. श्री मनमोहन लाल माथुर स्वर्ण पदक	एल–एल0बी0 फाइनल की परीक्षा में **प्रथम स्थान** प्राप्त करने वाले छात्र को।
10. अनूप नारायण श्रीवास्तव स्वर्ण पदक	एल–एल0बी0 द्वितीय वर्ष की परीक्षा में **प्रथम स्थान** प्राप्त करने वाले छात्र को।
11. श्री शिव षंकर लाल स्वर्ण पदक	एल–एल0बी0 प्रथम की परीक्षा में **प्रथम स्थान** प्राप्त करने वाले छात्र को।
12. डा0 आर0 ए0 मिश्रा स्वर्ण पदक	एम0ए0 फाइनल **अंग्रेजी** (प्रथम और द्वितीय वर्ष को मिलाकर जबकि कुल प्राप्तांक (50 प्रतिशत से कम न हों) की परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र को।
13. रजत पदक	बी0एड0 की परीक्षा में **सर्वाधिक अंक** प्राप्त करने वाले छात्र के लिए।
14. रजत पदक	बी0एड0 की परीक्षा में **द्वितीय स्थान** प्राप्त करने वाले छात्र के लिए।
15. जितेन्द्र मोहन माथुर स्वर्ण पदक	एल–एल0बी0 तृतीय वर्ष की परीक्षा में **द्वितीय स्थान** प्राप्त करने वाले छात्र को।
16. श्रीमती नलनी देवी चटर्जी स्व0पदक	बी0ए0 तृतीय वर्ष (**संगीत**) की परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र को
17. वरदा गंगोली स्वर्ण पदक	एम0 काम0 द्वितीय वर्ष की परीक्षा में **अधिकतम अंक** प्राप्त करने वाले छात्र को।
18. प्रेम नारायण सिंघल स्वर्ण पदक	कला संकाय में एम0ए0 के **सर्वोत्तम छात्र** को दिया जायेगा।
19. रामस्वरूप अग्रवाल एडवोकेट स्व0पदक	बी0ए0 तृतीय वर्ष में **हिन्दी** में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र को।
20. डा0 रघुवीरशरण शर्मा स्वर्ण पदक	एम0ए0 प्रथम व द्वितीय वर्ष हिन्दी की परीक्षा में कुल मिलाकर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को दिया जाता है।
21. कबीर हुसैन खां मैमो0 स्वर्ण पदक	**फारसी** की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा के लिए।
22. पं0 द्वारिका प्रसाद मैमो0 स्वर्ण पदक	एम0ए0 प्रथम व द्वितीय वर्ष **राजनीतिशास्त्र** की परीक्षा में कुल मिलाकर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा के लिए (प्रथम श्रेणी से कम अंक न हों)
23. पं0 गिरीश प्रसाद मैमो0 स्वर्ण पदक	पी0जी0 डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (PGDCA) परीक्षा में कुल मिलांकर **सर्वाधिक अंक** प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा के लिए।
24. चौधरी जोरावर सिंह स्वर्ण पदक	बी0ए0 तृतीय वर्ष में **इतिहास** में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाल छात्र/छात्रा को।

25. डा0 चेतसिंह यादव स्वर्ण पदक	एम0 ए0 उत्तरार्द्ध **इतिहास** में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को।
26. श्री मेवाराम सक्सेना मैमो0स्वर्ण पदक	एम0ए0/एम0एस–सी0 प्रथम और द्वितीय वर्ष को मिलाकर **गणित** में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को।
27. श्रीमती स्वाती कंवर मैमो0 स्वर्ण पदक	एम0 एस0 सी0 उत्तरार्द्ध **रसायन विज्ञान** में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वालेछात्र/छात्रा के लिए।
28. राम प्रकाश गोयल स्वर्ण पदक	एल–एल0बी0 प्रथम वर्ष में **द्वितीय स्थान** प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा के लिए।
29. राम प्रकाश गोयल स्वर्ण पदक	बी0ए0 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षा में कुल मिलाकर **हिन्दी** में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा के लिए।
30. बरेली कालेज स्वर्ण पदक	एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय परीक्षा में स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध कक्षा में अपने–अपने विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले तथा स्नातक (अन्तिम वर्ष) स्तर पर बी0 ए0/बी0काम0/बी0एस–सी0 में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले बरेली कॉलेज के संस्थागत छात्र/छात्रा को यह स्वर्ण पदक दिया जाता है।
31. डा0 बी0 के0 शर्मा स्वर्ण पदक	एम0एस–सी0 उत्तरार्द्ध **वनस्पतिशास्त्र** में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा के लिए।
32. कु0 शैफाली चौधरी वीरांगना स्व0पदक	एन0 सी0 सी0 की सर्वश्रेष्ठ छात्रा को दिया जाता है।
33. श्रीमती गायत्री श्रीवास्तव मै0स्व0पदक	एम0 ए0 प्रथम व द्वितीय वर्ष **संस्कृत** की परीक्षा में कुल मिलाकर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को दिया जाता है।
34. श्रीमती निरंजनकौर होठी मै0स्व0 पदक	एम0 ए0 पूवार्द्ध **इतिहास** की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को दिया जाता है।
35. प्रो0 एस0 पी0 सक्सेना स्वर्ण पदक	एम0ए0/एम0 एस–सी0 उत्तरार्द्ध **सांख्यिकी** में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को दिया जाता है।
36. श्री दयाशरण वर्मा मैमो0स्वर्ण पदक	बी0ए0 **मनोविज्ञान** में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्र/छात्रा को।
37. श्रीमती विनोद रस्तोगी मै0स्वर्ण पदक	बी0ए0 **गृहविज्ञान** में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्र/छात्रा को।
38. श्रीमती आदर्श सरन स्वर्ण पदक	बी0ए0 तृतीय वर्ष **भूगोल** में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्र/छात्रा को।
39. श्रीमती दुर्गेश नन्दिनी चन्द्रा स्व0पदक	एम0ए0 प्रथम वर्ष में **सर्वाधिक अंक** प्राप्त करने वाली छात्र/छात्रा को।
40. शिवांगी शर्मा स्मृति स्वर्ण पदक	बी0ए0 तृतीय वर्ष **भूगोल** में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा के लिए।

छात्रवृत्ति

01. श्रीमती तारादेवी कपूर छात्रवृत्ति	मेधावी छात्र/छात्रा के लिए
02. प्रो0 शंकर लाल छात्रवृत्ति (दो छात्रवृत्ति)	मेधावी छात्र/छात्रा के लिए
03. श्री सतीश कुमार कपूर छात्रवृत्ति	मेधावी छात्र/छात्रा के लिए
04. श्री ह्रदय नरायन कपूर छात्रवृत्ति (दो छात्रवृत्ति)	मेधावी छात्र/छात्रा के लिए
05. स्वामी सदाशिव आनन्दी महाराज,	मेधावी छात्र/छात्रा के लिए
06. स्वामी नित्यानन्द जी महाराज एवं	मेधावी छात्र/छात्रा के लिए
07. श्री रास बिहारी लाल अग्रवाल छात्रवृत्ति	मेधावी छात्र/छात्रा के लिए

08. प्रो0 श्रीधर पंत स्मृति छात्रवृत्ति	मेधावी छात्र/छात्रा के लिए
09. श्री कामेश्वर नाथ मेहरोत्रा छात्रवृत्ति	मेधावी छात्र/छात्रा के लिए
10. श्री राम स्वरूप अग्रवाल एडवोकेट छात्रवृत्ति	मेधावी छात्र/छात्रा के लिए
11. श्रीमती कमला देवी, श्री हरीशचन्द्र वर्मा स्मृति छात्रवृत्ति	बी0ए0 **अन्तिम वर्ष** की निर्धन एवं योग्य छात्रा को दी जाती है।
12. श्री हरीशचन्द्र वर्मा एडवोकेसी स्वर्ण जयन्ती	बी0ए0 प्रथम वर्ष के निर्धन छात्र को दी जाती है।
13. श्रीमती चम्पा कुँवर सक्सेना स्मृति छात्रवृत्ति	निर्धन, मेधावी छात्र/छात्रा को दी जाती है।
14. श्री राम चरन लाल अग्रवाल छात्रवृत्ति	एम0काम0 **उत्तरार्द्ध** के संस्थागत छात्र/छात्रा को जिसने एम0काम0 **पूर्वार्द्ध** में सर्वाधिक अंक प्राप्त किये हों, दी जाती है।
15. श्रीमती रमा देवी अग्रवाल छात्रवृत्ति	एम0एस–सी **उत्तरार्द्ध भौतिकी** के संस्थागत छात्र/छात्रा को जिसने एम0एस–सी0 **पूर्वार्द्ध भौतिकी** की लिखित परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किये हों।
16. स्व0 श्री देवी दयाल अग्रवाल स्मृति छात्रवृत्ति	बी0 काम0 तृतीय वर्ष में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राको।
17. श्री एस0एन0 चौधरी स्मृति छात्रवृत्ति(केवल छात्र के लिए)	ऐसे छात्र को जोकि एम0ए0 **पूर्वार्द्ध अर्थशास्त्र** में अध्ययनरत भी हो तथा जिसने स्नातक परीक्षा में अर्थशास्त्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त किये हों।
18. श्रीमती कान्ती देवी स्मृति छात्रवृत्ति	ऐसी छात्रा को जो कि एम0ए0 **पूर्वार्द्ध अर्थशास्त्र** में अध्ययनरत भी हो तथा (केवल छात्रा के लिए) जिसने स्नातक परीक्षा में सर्वाधिक अंक अर्थशास्त्र में प्राप्त किये हों।
19. श्री बी0 एस0 सक्सेना छात्रवृत्ति (केवल छात्र के लिए)	निर्धन मेधावी छात्र को दी जाती है।
20. श्रीमती दया सक्सेना छात्रवृत्ति(केवल छात्रा के लिए)	निर्धन मेधावी छात्रा को दी जाती है।

पुस्तक पारितोषिक

01. बी0 ए0, बी0 एस–सी0 तथा बी0 काम0	तृतीय वर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले के लिए (प्रत्येक में एक–एक पुरस्कार)
02. टैम्पलटन पुस्तक पारितोषिक	बी0ए0 की परीक्षा में **अंग्रेजी** साहित्य में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा के लिए।
03. पाल मैमोरियल पुस्तक पारितोषिक	बी0एस0 सी0 **भौतिकशास्त्र** में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा के लिए।
04. सेठ रामकुमार पाठक पुस्तक पारितोषिक	बी0ए0 हिन्दी में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले के लिए।
05. श्रीमती हरप्यारी देवी सेठ हृदय नारायण पुस्तक पारितोषिक	बी0ए0 तृतीय वर्ष में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले के लिए।
06. शिवांगी शर्मा स्मृति पुस्तक पारितोषिक	बी0ए0 प्रथम वर्ष **भूगोल** विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा के लिए।

आचार्य–कुल

प्रोफेसर आर0 पी0 सिंह, प्राचार्य

पी–एच0डी0, डी0लिट्0

पूर्व सदस्य–उ0प्र0, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद,

पूर्व कुलपति–चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

कला संकाय (Faculty of Arts)

हिन्दी

डॉ0 अशोक उपाध्याय, एम0ए0(हिन्दी,संस्कृत–दर्शन),पी–एच0डी0 **प्रभारी**

डॉ0 श्यामपाल मौर्य, एम0ए0,पी–एच0डी0

डॉ0 (कु0) कमलेश बहुगुणा, एम0ए0,पी–एच0डी0

डॉ0 (श्रीमती) परमजीत कौर, एम0ए0,पी–एच0डी0

डॉ0 (श्रीमती) मीना यादव, एम0ए0,पी–एच0डी0

रिक्त......5

संस्कृत

डॉ0 (श्रीमती) प्रमोदबाला मिश्र, एम0ए0,पी–एच0डी0 **प्रभारी**

डॉ0 राजेश कुमार भारद्वाज, एम0ए0,पी–एच0डी0

डॉ0 (श्रीमती) अर्चना गिरि, एम0ए0,पी–एच0डी0

डॉ0 (श्रीमती) प्रतिभा वार्ष्णेय एम0ए0,पी–एच0डी0

रिक्त.........1

अंग्रेजी

डॉ0 (श्रीमती) पूर्णिमा अनिल, एम0ए0, पी–एच0डी0 **प्रभारी**

डॉ0 राजन शर्मा, एम0ए0 (अंग्रेजी, सैन्य अध्य0), पी–एच0डी0

डॉ0 मधुकर बंसल, एम0ए0, पी–एच0डी0, डी0लिट्0

डॉ0 (कु0) चारू मेहरोत्रा, एम0ए0, पी–एच0डी0

डॉ0 (श्रीमती) कामिनी कुमार, एम0ए0, पी–एच0डी0

रिक्त.........3

उर्दू

डॉ0 मो0 नूरूल हक, एम0ए0,एम0फिल0,पी–एच0डी0 **प्रभारी**

डॉ0 अहमद तारिक, एम0ए0, पी–एच0डी0

श्रीमती शैव्या त्रिपाठी, एम0ए0

रिक्त.....2

फारसी

डॉ0 मो0 सदरे आलम, एम0ए0, पी–एच0डी0 **प्रभारी**

दर्शनशास्त्र

डॉ0 राकेश कुमार गुप्ता, एम0ए0,पी–एच0डी0 **प्रभारी**

डॉ0 अवधेश चन्द्र त्रिपाठी, एम0ए0,पी–एच0डी0

रिक्त......2

चित्रकला

डॉ0 आर0 एस0 पुण्ढीर, एम0ए0, पी–एच0डी0, डी0लिट0

डॉ0 (श्रीमती) मंजु सिंह, एम0ए0,पी–एच0डी0 **प्रभारी**

डॉ0 (श्रीमती) पम्पा गौतम, एम0ए0, पी–एच0डी0

डॉ0 ए0बी0एल0 लखटकिया, एम0ए0,पी–एच0डी0

रिक्त......2

इतिहास

डॉ0 जोगा सिंह होठी, एम0ए0,पी–एच0डी0 **प्रभारी**

डॉ0 (श्रीमती) संध्या मिश्र, एम0ए0,पी–एच0डी0

डॉ0 एस0 के0 मेहरोत्रा, एम0ए0,पी–एच0डी0

रिक्त......3

अर्थशास्त्र

डॉ0 बिमल बिहारी लाल, एम0ए0,पी–एच0डी0 **प्रभारी**

डॉ0 अशोक कुमार चौधरी, एम0ए0,पी–एच0डी0

डॉ0 विजय प्रकाश सक्सेना, एम0ए0,पी–एच0डी0

डॉ0 (श्रीमती) रीना अग्रवाल, एम0ए0,पी–एच0डी0

डॉ0 (श्रीमती) निर्मला जुनेजा, एम0ए0, पी–एच0डी0

श्री आर0 के0 सक्सेना, एम0ए0, एम0फिल0

रिक्त......2

राजनीतिशास्त्र

डॉ0 डी0 आर0 यादव, एम0ए0,पी–एच0डी0 **प्रभारी**

डॉ0 (श्रीमती) मनमीत कौर, एम0ए0,एम0फिल0,पी–एच0डी0

डॉ0 (श्रीमती) वन्दना शर्मा, एम0ए0,एल–एल0एम0,पी–एच0डी0

श्रीमती नीलम गुप्ता, एम0ए0

श्रीमती ममता यादव, एम0 ए0

रिक्त.....3

समाज शास्त्र

डॉ0 एस0 डी0 ढौंडियाल,एम0ए0,एम0फिल0,पी–एच0डी0 **प्रभारी**

डॉ0 (श्रीमती) नवनीत कौर आहूजा, एम0ए0,बी0एड, पी–एच0डी0

डॉ0 रवीन्द्र बंसल, एम0ए0, पी–एच0डी0

डॉ0 (श्रीमती) अनुराधा गोयल, एम0ए0, पी–एच0डी0

डॉ0 उमा चरन, एम0ए0, पी–एच0डी0

रिक्त......4

संगीत

डॉ0 (श्रीमती) ऊषा खन्ना, एम0ए0, पी–एच0डी0 **प्रभारी**

डॉ0 (श्रीमती) जयश्री मिश्रा, एम0 ए0, पी–एच0डी0

रिक्त 2

शिक्षा शास्त्र

श्रीमती दीप्ति जौहरी, एम0ए0 **प्रभारी**

रिक्त 3

अरबी

डॉ0 महमूद हुसैन एम0ए0,पी–एच0डी0 **प्रभारी**

भूगोल

डॉ0 जुबैरूल इस्लाम, (अस्थायी) एम0ए0,पी–एच0डी0

डॉ0 (श्रीमती) नीरू अग्रवाल, (अस्थायी)एम0ए0,पी–एच0डी0

डॉ0 भोले राम प्रजापति, (अस्थायी)एम0ए0,पी–एच0डी0

डॉ0 संदीप सिंह बर्मन, (अस्थायी)एम0ए0,पी–एच0डी0

डॉ0 पुष्पा रानी गंगवार, (अस्थायी)एम0ए0,पी–एच0डी0

डॉ0 अरविन्द कुमार, (अस्थायी)एम0ए0,पी–एच0डी0

डॉ0 अक्षय शुक्ला, (अस्थायी)एम0ए0,पी–एच0डी0

मनोविज्ञान

डॉ0 (श्रीमती) हेमा खन्ना, (अस्थायी) एम0ए0,पी–एच0डी0 **प्रभारी**

डॉ0 (श्रीमती) सुविधा शर्मा, (अस्थायी) एम0ए0,एम0फिल0,पी–एच0डी0

डॉ0 प्रशान्त वशिष्ठ, (अस्थायी) एम0ए0,पी–एच0डी0

रिक्त......2

गृह विज्ञान

श्रीमती मीनाक्षी त्रिपाठी, (अस्थायी) एम0एस–सी0 **प्रभारी**

डॉ0 (श्रीमती) सरोज सक्सेना, (अस्थायी) एम0एस–सी0,पी–एच0डी0

श्रीमती पूजा गुप्ता, (अस्थायी) एम0एस–सी0

कु0 अर्चना देवी, (अस्थायी) एम0एस–सी0

वाणिज्य संकाय (फैकल्टी ऑफ कामर्स)

डॉ0 इन्द्रेश चन्द्र कश्यप,, एम0 काम0, पी–एच0डी0 **प्रभारी**

डॉ0 प्रेम चन्द्र गुप्ता, एम0 काम0, पी–एच0डी0

डॉ0 जाहिद खान, एम0 काम0, पी–एच0डी0 **(अवकाश पर)**

डॉ0 अरविन्द किशोर सक्सेना, एम0 काम0, पी–एच0डी0

डॉ0 अनिल कुमार मिश्र, एम0काम0, एल–एल0बी0, पी–एच0डी0

श्री शशि कुमार बैजल, एम0 काम0,

डॉ0 प्रवीन कुमार अग्रवाल, एम0 काम0, पी–एच0डी0

डॉ0 गिरीश कुमार, एम0 काम0, पी–एच0डी0

डॉ0 महेश कुमार शर्मा, एम0 काम0, पी–एच0डी0

डॉ0 राजीव मेहरोत्रा, एम0 काम0, पी–एच0डी0

डॉ0 भारतेन्दु शर्मा, एम0 काम0, पी–एच0डी0

डॉ0 सुरेन्द्र स्वरूप शर्मा, एम0 काम0, पी–एच0डी0

डॉ0 भुपेन्द्र सिंह, एम0 काम0, पी–एच0डी0

डॉ0 ओमकार, एम0 काम0, पी–एच0डी0

डॉ0 अनूप कुमार, एम0 काम0, पी–एच0डी0

रिक्त 8

विज्ञान संकाय (फैकल्टी ऑफ साइन्स)

रसायन विज्ञान

डॉ0 राज भूषण सिंह, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0 **प्रभारी**

डॉ0 सुनील कुमार शर्मा, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0

डॉ0 (श्रीमती) कमला देवी सक्सेना, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0

डॉ0 अशोक कुमार अग्रवाल, एम0एस–सी0,पी–एच0डी0

डॉ0 अनुराग मोहन एम0एस–सी0,पी–एच0डी0

डॉ0 पी0एन0 सक्सेना, एम0एस–सी0, पी–एच0डी0

डॉ0 (श्रीमती) दिव्या सिंह, एम0एस–सी0,पी–एच0डी0

डॉ0 (श्रीमती) शचि मित्तल, एम0एस–सी0,पी–एच0डी0

डॉ0 एन0बी0 सिंह, एम0एस–सी0, पी–एच0डी0

डॉ0 (श्रीमती) पूनम गर्ग, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0

डॉ0(श्रीमती)संगीता कामथान, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0

डॉ0 मोहन भूषण कल्हंस, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0

डॉ0 अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0 (अवकाश पर)

डॉ0 (श्रीमती) शालिनी सिंह, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0

डॉ0 (श्रीमती) पूनम गुप्ता, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0

रिक्त 9

भौतिक शास्त्र

श्री जावेद अब्दुल वाजिद, एम0एस–सी0 **प्रभारी**

श्री हरि विष्णु गौतम, एम0एस–सी0

डॉ0 संजीव सक्सेना, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0

डॉ0 वी0 पी0 सिंह, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0

डॉ0 (श्रीमती) ऋतु अग्रवाल, एम0एस–सी0, पी–एच0डी0

श्री नीरज राठौर, एम0एस–सी0

डॉ0 सुन्दर सिंह, एम0एस–सी0, पी–एच0डी0

डॉ0 प्रमोद कुमार वर्मा, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0

डॉ0 अविनाश अग्रवाल, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0

डॉ0 अजय कुमार सिंह, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0

डॉ0 संदीप कुमार सक्सेना, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0

रिक्त......2

गणित

डॉ0 अनिल किशोर सक्सेना, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0 **प्रभारी**
डॉ0 स्वेदश सिंह, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0
डॉ0 तारकेश्वर सिंह चौहान, एम0एस–सी0,पी–एच0डी0, डी0एस–सी0
डॉ0 आरिफ नदीम, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0, डी0एस–सी0
डॉ0 (श्रीमती) पूनम एम0 एस–सी0, एम0फिल0, पी–एच0डी0
रिक्त......5

सांख्यिकी

डॉ0 प्रभात कुसुम गुप्त, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0 **प्रभारी**
डॉ0 मुकेश चन्द्र, एम0 स्टेट0, पी–एच0डी0
डॉ0 विनोद कुमार, एम0ए0 (अर्थ) एम0स्टेट0, पी–एच0डी0 **(अवकाश पर)**
डॉ0 (श्रीमती) शुभ्रा कटारा, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0
रिक्त......3

वनस्पति विज्ञान

डॉ0 उमा शंकर मिश्र, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0 **प्रभारी**
एफ0पी0एस0आई0
डॉ0 सुरेन्द्र पाल सिंह, एम0 एस–सी0, एम0फिल0 पी–एच0डी0,
डॉ0 भोला नाथ पाण्डेय, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0
डॉ0 दिनेश कुमार सक्सेना, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0
(विजिटिंग फैकल्टी–मिशिगन टैक्नॉलाजिकल यूनीवर्सिटी, यू0एस0ए0, एवं सैन्ट इस्तवान यूनिवर्सिटी, हंगरी)
डॉ0 उमेश चन्द्र पाण्डेय, एम0एस–सी0, डी0फिल0
डॉ0 सोमेश यादव, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0, **(अवकाश पर)**
डॉ0 प्रदीप कुमार, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0
डॉ0 के0 ए0 वार्ष्णेय, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0
एफ0बी0एस0, एफ0आई0एस0पी0पी0,यू0जी0सी0, कैरियर अवार्ड
डॉ0 (श्रीमती) अनुपम आनन्द एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0
डॉ0 सुबोध कुमार भटनागर, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0**(अवकाश पर)**
डॉ0 (श्रीमती) आभा अग्रवाल, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0
डॉ0 आलोक कुमार खरे, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0
रिक्त......4

प्राणिशास्त्र

डॉ0 प्रदीप कुमार शर्मा, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0 **प्रभारी**
डॉ0 अगम दयाल श्रीवास्तव, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0
डॉ0 विजय कृष्ण महेन्द्रू, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0
डॉ0 (श्रीमती) रंजना सक्सेना, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0
डॉ0 दिलीप कुमार गुप्ता, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0
एफ0ए0ई0एस0, एफ0जेड0एस0
डॉ0 (श्रीमती) सुनीता शर्मा, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0
डॉ0 कमल कुमार सक्सेना, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0
डॉ0 (श्रीमती) संगीता सिंह, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0
डॉ0 (श्रीमती) क्षमा द्विवेदी, एम0 एस–सी0,
डॉ0 नीलम पवार, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0
श्रीमती रेनू चौधरी, एम0 एस–सी0,
डॉ0 राजेन्द्र सिंह, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0
डॉ0 (कु0) बीनम सक्सेना, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0
डॉ0 सुनील कुमार, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0
रिक्त......6

सैन्य अध्ययन

डॉ0 निर्मल कुमार, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0 **प्रभारी**
डॉ0 हरि प्रसाद श्रीवास्तव, एम0 ए0, पी–एच0डी0
डॉ0 अजय कुमार शर्मा, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0
डॉ0 अलाउद्दीन खां, एम0 ए0, पी–एच0डी0
डॉ0 वेदपाल सिंह, एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0
डॉ0 मधुरेन्द्र प्रताप सिंह, एम0 ए0, पी–एच0डी0
डॉ0 नीरजा अस्थाना, एम0 ए0, पी–एच0डी0
रिक्त......4

पर्यावरण

डॉ0 अजीत प्रताप सिंह, एम0एस–सी0, पी–एच0डी0 **प्रभारी**
डॉ0 (श्रीमती) सीमा कुदेशिया, (अस्थाई) एम0एस–सी0, पी–एच0डी0
श्रीमती अनामिका अग्रवाल, (अस्थाई) एम0एस–सी0
डॉ0 निष्ठा सेठ, (अस्थाई) एम0एस–सी0, पी–एच0डी0

बायोटैक्नॉलाजी

डॉ0 (श्रीमती) तृप्ता वर्मा, (अस्थाई) एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0 **प्रभारी**
डॉ0 (श्रीमती) शालिनी नगाईच, (अस्थाई) एम0 एस–सी0, पी–एच0डी0
कु0 निशा दिनकर, (अस्थाई) एम0 एस–सी0,
कु0 तृप्ति सक्सेना, (अस्थाई) एम0एस–सी0,
श्री सूदेश कन्नौजिया, (अस्थाई) एम0एस–सी0,
कु0 स्तुति पोरवाल, (अस्थाई) एम0एस–सी0,
श्री संजय कुमार, (अस्थाई) एम0एस–सी0,
कु0 प्रियंम सचदेवा, (अस्थाई) एम0एस–सी0,
कु0 अल्का सिंह, (अस्थाई) एम0एस–सी0,

विधि संकाय

डॉ0 महेश चन्द्र रस्तोगी, एल–एल0एम0, पी–एच0डी0 **प्रभारी**
डॉ0 दीपक आनन्द, एल–एल0एम0, पी–एच0डी0
श्रीमती शशि बाला सिन्हां, बी0एस–सी0, एल–एल0एम0,
डॉ0 नसीम अख्तर, एम0ए0, एल–एल0एम0, पी–एच0डी0
श्री बीरेन्द्र सिंह, एल–एल0एम0,
डॉ0 आनन्द बल्लभ कफल्टिया, एल–एल0एम0, पी–एच0डी0
श्री हरि सरन पाण्डेय, एल–एल0एम0
श्री खुर्शीद अली खां, एल–एल0एम0,
डॉ0 प्रदीप कुमार, एल–एल0एम0, पी–एच0डी0
श्री सत्य प्रकाश, एल–एल0एम0,
डॉ0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह, एल–एल0एम0, पी–एच0डी0
रिक्त 3

बी0एड0 संकाय

डॉ0 (श्रीमती) मंजू खरे, एम0ए0, एम0एड0, पी–एच0डी0 **प्रभारी**
डॉ0 (श्रीमती) उमा व्यास, एम0ए0, एम0एड0, पी–एच0डी0
डॉ0 सत्य प्रकाश अरोड़ा, एम0ए0, एम0एड0, पी–एच0डी0
डॉ0 इन्द्र मोहन सिंह, एम0ए0, एम0एड0, पी–एच0डी0
डॉ0 (श्रीमती) संगीता सिंह, एम0ए0, एम0एड0, पी–एच0डी0
डॉ0 (श्रीमती) बीना यादव, एम0ए0, एम0एड0, पी–एच0डी0
डॉ0 (श्रीमती) अनीता सिह, एम0ए0, एम0एड0, पी–एच0डी0
डॉ0 (श्रीमती) ज्योति चहल, एम0ए0, एम0एड0, पी–एच0डी0
डॉ0 (श्रीमती) सुविता कुमारी, एम0ए0, एम0एड0,एफ0फिल0, पी–एच0डी0
श्रीमती कविता विश्नोई, एम0ए0, एम0एड0, पी0जी0डी0सी0ए0
डॉ0 राकेश कुमार आजाद, एम0एस–सी0, एम0एड0, पी–एच0डी0
श्रीमती भारती डोगरा, एम0ए0, एम0एड0
डॉ0 (श्रीमती) शालिनी त्यागी, एम0ए0, एम0एड0, पी–एच0डी0
डॉ0 मो0 मुसीब रजा, एम0एस–सी0, बी0एड0, पी–एच0डी0 (समन्वयक)

एम0एड0 संकाय

डॉ0 (श्रीमती) उमा व्यास, एम0ए0, एम0एड0, पी–एच0डी0 **प्रभारी**
डॉ0 प्रतिभा शर्मा, (अस्थाई) एम0एड0,
डॉ0 सारा बसु, (अस्थाई) एम0एस–सी0,एम0एड0, पी–एच0डी0
डॉ0 गौसिया, (अस्थाई) एम0ए0, एम0एड0, पी–एच0डी0
डॉ0 मीनाक्षी जोशी, (अस्थाई) एम0एड0, पी–एच0डी0

बी0बी0ए0 संकाय

डॉ0 ए0 के0 सक्सेना, एम0काम0, पी–एच0डी0 **प्रभारी**
श्री अतुल कुमार यादव, (अस्थाई) एम0एस–सी0, एम0बी0ए0
श्री आलोक सक्सेना, (अस्थाई) एम0बी0ए0
श्री मो0 अरशद खांन, (अस्थाई) एम0काम0, एम0बी0ए0
श्री दिनेश प्रताप सिंह, (अस्थाई), एम0काम0, एम0बी0ए0
सुश्री शैलजा सक्सेना, (अस्थाई), एम0बी0ए0
श्री मणी शेखर, (अस्थाई), एम0बी0ए0
श्री देवेश कुमार, (अस्थाई), एम0बी0ए0

बी0सी0ए0 संकाय

डॉ0 राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, **प्रभारी**
एम0एस–सी0 (क0,साइंस, भौ0शास्त्र) एम0ए0 (गणित) पी–एच0डी0
कु0 मधु स्मिता, (अस्थाई) एम0सी0ए0,
श्री विजय यादव, एमसीएम, एम0सी0ए0,
श्रीमती रोमा सक्सेना, (अस्थाई) एम0सी0ए0,डी0सी0ए0
श्री संजीव कुमार, एम0सी0ए0,
श्री संजीव अग्निहोत्री, एम0सी0ए0,

बी0लिब0 संकाय

श्री वी0 डी0 यादव **प्रभारी**
श्रीमती शकुन्तला सिंह
श्री नीरज सिंह (अस्थाई) एम0लिब0, एम0फिल0
श्री योगश शर्मा, एम0लिब0,
कु0 हलीमा खातून, एम0लिब0,

शारीरिक शिक्षा

डॉ0 एस0एम0 सीरिया, एम0ए0, बी0एड0, क्रीडाधिकारी
डी0पी0डी0,बी0एम0बी0डी0,आई0जी0डी0,पी–एच0डी0

छात्र कल्याण अधिष्ठाता

डॉ0 एम0 सी0 रस्तोगी

एन0सी0सी0 अधिकारी

मेजर डॉ0 अनुराग मोहन
लैफ्ट0 डॉ0 पी0 के0 वर्मा
लैफ्ट0 डॉ0 (श्रीमती) वन्दना शर्मा
लैफ्ट0 डॉ0 नीलम पवार

एन0एस0एस0 कार्यक्रम अधिकारी

डॉ0 नीरजा अस्थाना (प्रस्तावित)
श्रीमती नीलम गुप्ता
डॉ0 (श्रीमती) क्षमा द्विवेदी
डॉ0 राजेन्द्र सिंह
डॉ0 एस0पी0 मौर्या
डॉ0 ओम कार

प्रभारी, रोवर्स व रेन्जर्स

डॉ0 एस0पी0 अरोड़ा
डॉ0 (श्रीमती) बीना यादव

प्रभारी, हाट एण्ड कोल्ड

....

प्रभारी, स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम

डॉ0 दिलीप कुमार गुप्ता

सहा0 जन सूचना अधिकारी

डॉ0 दीपक आनन्द

प्रभारी, कैरियर बिल्डिंग

डॉ0 अगम दयाल श्रीवास्तव
डॉ0 जुबैरूल इस्लाम

प्रभारी, परिसर रख–रखाव

डॉ0 ए0के0 खरे (लॉन एवं माली)
डॉ0 अजीत प्रताप सिंह

प्रभारी, फर्नीचर रख–रखाव

डॉ0 आर0 एस0 पुण्ढीर

प्रेस प्रवक्ता सम्पर्क समिति

डॉ0 अगम दयाल श्रीवास्तव,	संयोजक
डॉ0 अवधेश चन्द्र त्रिपाठी	सदस्य
डॉ0 (श्रीमती) वन्दना शर्मा	सदस्य

शैक्षिक उन्नयन समिति

डॉ0 पी0बी0 मिश्रा	संयोजक
डॉ0 यू0 एस0 मिश्रा	सदस्य
डॉ0 ए0के0 अग्रवाल	''
डॉ0 बी0एन0 पाण्डेय (वनस्पति)	''
डॉ0 (श्रीमती) रंजना सक्सेना	''
डॉ0 डी0 के0 गुप्ता	''
डॉ0 (श्रीमती) सुनीता शर्मा	''
डॉ0 निर्मल कुमार	''
डॉ0 दीपक आनन्द	''
डॉ0 आर0 के0 भारद्वाज	''
डॉ0 मुकेश चन्द्रा	''
डॉ0 (श्रीमती) पूर्णिमा अनिल	''
डॉ0 (श्रीमती) मंजू खरे	''
डॉ0 संजीव सक्सेना	''
डॉ0 (श्रीमती) पम्पा गौतम	''
डॉ0 चारू मेहरोत्रा	''
डॉ0 नूरूल हक	''
डॉ0 भूपेन्द्र सिंह	''
डॉ0 (श्रीमती) शालिनी सिंह	''

कार्यालय निरीक्षण समिति

डॉ0 पी0सी0 गुप्ता	संयोजक
डॉ0 दीपक आनन्द	सदस्य
डॉ0 नसीम अख्तर	सदस्य

इण्टरनेट/वैबसाइट समिति

डॉ0 आरिफ नदीम	संयोजक
डॉ0 (श्रीमती) शालिनी सिंह	सदस्य
डॉ0 जुबैरूल इस्लाम	''

समय सारिणी प्रभारी

डॉ0 आरिफ नदीम

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कल्याण समिति

डॉ0 एम0 सी0 रस्तोगी	डी0एस0डब्ल्यू0
डॉ0 जोगा सिंह होठी	चीफ प्राक्टर
डॉ0 एस0एम0 सीरिया	क्रीडा अधिकारी
डॉ0 मनमीत कौर	महिला प्राक्टर

आजाद छात्रावास व महिला छात्रावास के दोनों वार्डन

समाज कल्याण समिति

अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य श्रेणी के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों एवं बैंक में खाता खुलवाने के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु निम्न प्राध्यापक नामित किए गये हैं।—

डॉ0 आर0एस0 पुण्ढीर, ललित कला विभाग

डॉ0 आई0एम0 सिंह—स्थान बी0एड0 विभाग

डॉ0 सुन्दर सिंह —स्थान भौतिकी विभाग

डॉ0 सुविता कुमारी, बी0एड0 विभाग

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति श्रेणी के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों एवं बैंक में खाता खुलवाने के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु निम्न प्राध्यापक नामित किए गये हैं —

डॉ0 राकेश कुमार आजाद—स्थान बी0एड0 विभाग

डॉ0 ओमकार—स्थान वाणिज्य विभाग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम्पर्क समिति

डॉ0 कमल कुमार सक्सेना	संयोजक
डॉ0 अविनाश अग्रवाल	सदस्य
डॉ0 (श्रीमती) वन्दना शर्मा	''
डॉ0 आलोक खरे	''
डॉ0 राकेश कुमार आजाद	''
डॉ0 (श्रीमती) शालिनी सिंह	''

नोट :— डीएसडब्ल्यू, संयोजक, शैक्षिक उन्नयन समिति इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।

शोध विकास समिति

डॉ0 आर0 बी0 सिंह	संयोजक
डॉ0 (श्रीमती) पी0 बी0 मिश्र	सदस्य
डॉ0 डी0 के0 सक्सेना	''
डॉ0 (श्रीमती) रंजना सक्सेना	''
डॉ0 (श्रीमती) अनुपम आनन्द	''
डॉ0 (श्रीमती) उमा व्यास	''
डॉ0 पी0के0 अग्रवाल	''
डॉ0 आरिफ नदीम	सचिव
डॉ0 एस0 के0 महरोत्रा	सदस्य
डॉ0 ए0बी0 कफल्टिया	''
डॉ0 भूपेन्द्र सिंह	''

परीक्षा व्यवस्था समिति

श्री जे0 ए0 वाजिद	संयोजक
डॉ0 आई0सी0 कश्यप	सदस्य
डॉ0 आर0 बी0 सिंह	''
डॉ0 (श्रीमती) पी0 बी0 मिश्रा	''
डॉ0 एस0 पी0 सिंह	''
डॉ0 ए0 के0 सक्सेना (वाणिज्य)	''

डॉ0 (श्रीमती) रंजना सक्सेना	''
डॉ0 डी0 के0 गुप्ता	''
डॉ0 एच0पी0 श्रीवास्तव	''
डॉ0 बी0 बी0 लाल	''
डॉ0 एम0 सी0 रस्तोगी	''
डॉ0 जोगा सिंह	''
डॉ0 आर0 एस0 पुण्ढीर	''
डॉ0 आरिफ नदीम	सचिव
डॉ0 ए0पी0 सिंह	सदस्य

महिला समस्या निवारण व उत्पीड़न शिकायत प्रकोष्ठ

(शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्रांक डिग्री विकास/शि0नि0(उ0शि0)/3023/2008–09 दिनांक 24.05.08 के अनुपालन में)

जिलाधिकारी अथवा उनका प्रतिनिधि एक सदस्य

न्यायाधिकारी अथवा उनका प्रतिनिधि एक सदस्य

समाजसेवी संस्था का प्रमुख एक सदस्य

डॉ0 (श्रीमती) सुनीता शर्मा	संयोजक
डॉ0 (श्रीमती) उमा व्यास	सदस्य
डॉ0 (श्रीमती) आभा अग्रवाल	''
डॉ0 कमलेश बहूगुणा	''
डॉ0 नीलम पवार	''

नोटः– उपरोक्त के अतिरिक्त महिला प्राक्टर पदेन सदस्य होंगी।

अभिव्यक्ति प्रकाशन समिति

(वर्ष में दो बार प्रकाशित)

डॉ0 ए0 डी0 श्रीवास्तव	संयोजक
डॉ0 राजन शर्मा	सदस्य
डॉ0 एच0 एस0 पाण्डेय	''
डॉ0 एस0पी0 मौर्या	''
डॉ0 ए0सी0 त्रिपाठी	सचिव

नोटः– इस समिति में डी0एस0डब्ल्यू0 और चीफ प्राक्टर पदेन सदस्य होंगे। तथा छात्र/छात्राओं का मनोनयन समिति के सदस्यों की संख्या के बराबर योग्यता एवं रूचि के अनुसार छात्र/छात्राओं के प्रवेश के बाद किया जायेगा।

क्रीडा समिति

डॉ0 एम0सी0 रस्तोगी	संयोजक/उपाध्यक्ष
डॉ0 आर0 एस0 पुण्ढीर	सदस्य
डॉ0 राजन शर्मा	''
डॉ0 आरिफ नदीम	''
डॉ0 चारू मेहरोत्रा	सदस्या
डॉ0 (श्रीमती) वन्दना शर्मा	''
डॉ0 (श्रीमती) पूनम गर्ग	''
श्री सत्य प्रकाश	सदस्य
डॉ0 एस0एस0 शर्मा	''
डॉ0 भूपेन्द्र सिंह	''
श्रीमती नीलम गुप्ता	''
डॉ0 नीरजा अस्थाना	''
डॉ0 एस0एम0 सीरिया	क्रीड़ाधिकारी/सचिव

नोटः–क्रीडा समिति में डी0एस0डब्ल्यू0, उपाध्यक्ष एवं चीफ प्राक्टर पदेन सदस्य होंगे, इसके अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या के बराबर खिलाड़ी (मुख्य रूप से कैपटन्स) छात्र/छात्राऐं क्रीडा समिति के सदस्य के रूप में नामित होंगें।

छात्र कल्याण परामर्श दात्री समिति

डॉ0 एम0सी0 रस्तोगी, डी0एस0डब्ल्यू0	संयोजक
डॉ0 जोगा सिंह	सदस्य
डॉ0 आर0 एस0 पुण्ढीर	''
डॉ0 एस0एम0 सीरिया	''
डॉ0 अनुराग मोहन	''
डॉ0 राजीव मेहरोत्रा	''
डॉ0 ए0 बी0 कफल्टिया	''
डॉ0 (श्रीमती) शचि मित्तल	''
डॉ0 (श्रीमती) अनीता सिंह (बी0एड0)	''
डॉ0 (श्रीमती) वन्दना शर्मा	''
डॉ0 राकेश कुमार आजाद	''
डॉ0 नीलम पवार	''
डॉ0 (श्रीमती) शालिनी त्यागी	''

नोट :– प्राचार्य द्वारा प्राध्यापकों की सदस्यता के बराबर ही मेधावी छात्र/छात्राओं की संख्या प्रवेश के बाद नामित की जायेगी।

सांस्कृतिक समिति

डॉ0 (श्रीमती) पूर्णिमा अनिल	संयोजक
डॉ0 (श्रीमती) ऊषा खन्ना	उप–संयोजक
डॉ0 (श्रीमती) ज्योति चहल	''
डॉ0 (श्रीमती) आभा अग्रवाल	''
डॉ0 (श्रीमती) ऋतु अग्रवाल	''
डॉ0 (श्रीमती) शुभ्रा कटारा	''
डॉ0 (श्रीमती) रीना अग्रवाल	''
डॉ0 ए0सी0 त्रिपाठी	सचिव
डॉ0 ओमकार	सदस्य
डॉ0 (श्रीमती) जयश्री मिश्रा	उप–सचिव

नोटः–डी0एस0डब्ल्यू0, चीफ प्राक्टर और एन0सी0सी0 के समस्त प्राध्यापक अधिकारी सांस्कृतिक परिषद के पदेन सदस्य होंगे।

छात्रानुशासन परिषद

डॉ0 जोगा सिंह होठी	(चीफ प्राक्टर)
श्री बीरेन्द्र सिंह	प्राक्टर
डॉ0 वेदपाल सिंह	"
डॉ0 नूरूल हक	"
श्री नीरज राठौर	"
डॉ0 भूपेन्द्र सिंह	"

नोट :– इसके अतिरिक्त संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षकों में से आवश्यकतानुसार समाहित किया जायेगा।

महिला प्राक्टर

डॉ0 (श्रीमती) मनमीत कौर	"
डॉ0 (श्रीमती) शालिनी त्यागी	"
श्रीमती रेनू चौधरी	"

नोट : इसमें डी0एस0डब्ल्यू0, तथा क्रीडा अधिकारी पदेन सदस्य होंगे।

छात्रावास समिति

डॉ0 एम0सी0 रस्तोगी	संयोजक
डॉ0 जोगा सिंह	सदस्य
डॉ0 आर0एस0 पुण्ढीर	"
डॉ0 (श्रीमती) उमा व्यास	सदस्या
डॉ0 वेदपाल सिंह, (चीफ वार्डन)	सदस्य
डॉ0 एस0एम0 सीरिया	"
डॉ0 चारू मेहरोत्रा	सदस्या

नोटः– चीफ प्राक्टर एवं वरिष्ठ महिला प्राक्टर इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।

पुस्तकालय एवं बुक बैंक समिति

डॉ0 यू0एस0 मिश्र	संयोजक
डॉ0 एम0 के0 शर्मा	सदस्य
डॉ0 (श्रीमती) उमा व्यास	"
डॉ0 (श्रीमती) पम्पा गौतम	"
श्री एच0एस0 पाण्डेय (विधि)	"
डॉ0 (श्रीमती) आभा अग्रवाल	"
डॉ0 आर0 के0 गुप्ता	"
डॉ0 (श्रीमती) शचि मित्तल	"
डॉ0 सुन्दर सिंह	"
डॉ0 (श्रीमती) मनमीत कौर	"
डॉ0 (श्रीमती) मीना यादव	"
डॉ0 (श्रीमती) पूनम (गणित)	"
श्री वी0 डी0 यादव	सचिव
श्रीमती शकुन्तला सिंह	उप–सचिव

नोटः–इस समिति में डी0एस0डब्ल्यू0 और चीफ प्राक्टर पदेन सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त उक्त समिति में नामित किये सदस्यों की संख्या के बराबर विभिन्न विषयों/संकायों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राऐं भी पदेन सदस्य होंगे जिनका चयन पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

रेलवे कन्सेशन/विविध प्रतियोगी परीक्षा फार्म अग्रसारण अधिकारी (प्राचार्य द्वारा नामित)

श्री एस0एस0 शर्मा	स्थान–वाणिज्य विभाग
डॉ0 आर0एस0 पुण्ढीर	स्थान–ललित कला विभाग
डॉ0 एस0पी0 मौर्या	स्थान–हिन्दी विभाग

नोट :– उपरोक्त के अतिरिक्त **एन0सी0सी0** यूनिटों के समस्त अधिकारी तथा **प्राक्टोरियल बोर्ड** के समस्त सदस्य इसमें पदेन सदस्य होंगे।

महाविद्यालय विकास नियोजन समिति

सभी समितियों के संयोजक इस समिति के सदस्य होंगें।

कैण्टीन व्यवस्था समिति

डॉ0 एम0सी0 रस्तोगी	संयोजक
डॉ0 जोगा सिंह होठी	सदस्य
डॉ0 मनमीत कौर	सदस्या
श्रीमती रेनू चौधरी	"
डॉ0 शालिनी त्यागी	"

साईकिल स्टैण्ड व्यवस्था समिति

डॉ0 जोगा सिंह होठी	संयोजक
डॉ0 वेदपाल सिंह	सदस्य
डॉ0 आर0एस0 पुण्ढीर	"
डॉ0 चारू महरोत्रा	सदस्या
डॉ0 मनमीत कौर	"

नोटः– डीएसडब्ल्यू इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।

कार्यालय स्टाफ

श्री आलोक कुमार गुहा पट्टादार, एम0काम	बर्सर
रिक्त........	कार्यालय अधीक्षक
डॉ0 नवीन चन्द्र उप्रेती, एम0ए0,एल–एल0बी0, पीएचडी	आशुलिपिक
डॉ0 विक्रम सिंह यादव, एम0 काम0, एल–एल0बी0, पी–एच0डी0	सहा0 लेखाकार
श्री हरचरण लाल गंगवार, बी0ए0	वरिष्ठ सहायक
श्री श्याम सुन्दर गुप्ता, बी0ए0,बी0काम0,एल–एल0बी0	वरिष्ठ सहायक
श्री महेश कुमार अग्रवाल,बी0एस–सी0, एम0ए0, एल–एल0बी0	नैत्यिक लिपिक
श्री अंजुम आदिल,बी0एस–सी0,एल–एल0बी0,कार्यवाहक	कार्यालय अधीक्षक
श्री मुनीश बिहारी मेहरोत्रा, एम0काम0	नैत्यिक लिपिक
श्री अजय कुमार, एम0ए0, एल–एल0बी0	"
श्री राजेन्द्र प्रसाद बाल्मीकी, बी0काम0	"
श्री पंकज अग्रवाल, बी0काम0	"
श्री रोशन सिंह एम0ए0 (रा0शा0,समा0शा0),एल–एल0बी0	"
श्री हयात अली खां, एम0ए0, बी0एड0,एल–एल0बी0	"
श्री केशव कुमार गोयल, एम0काम0	"
श्री राम नाथ शर्मा, एम0ए0	"
श्री राजीव मोहन सक्सेना, बी0काम0	"
श्री अशोक कुमार, बी0काम0	"
श्रीमती लक्ष्मी सक्सेना, एम0ए0, बी0एड0	"
श्री संदीप कुमार सक्सेना, बी0एस–सी0 एम0ए0	"
श्रीमती कुसुम रानी गोयल, एम0ए0	"
श्री अमर नाथ	"
श्रीमती नीलम सक्सेना	"
श्री राम कुमार गुप्ता	"
श्री सुरेश पाल, बी0ए0, डिप्लोमा सिविल इंजी0	"
श्री राम औतार	"
श्री आयेन्द्र गौरव	"
कु0 विमल कुमारी	"
श्री महेन्द्रपाल	"
श्री सुरजीत सिंह	"
श्रीमती उर्मिला दुबे	"
श्रीमती रामबेटी शर्मा	"
रिक्त– 03....................	

पुस्तकालय–स्टाफ

श्री विशेश्वर दयाल यादव, एम0ए0, एम0लिब0	पुस्तकालयाध्यक्ष
श्रीमती शकुन्तला सिंह, एम0ए0,एम0लिब0	पुस्तकालयाध्यक्ष
श्री शिव कुमार शर्मा, एम0ए0 आयुर्वेदरत्न, बी0लिब0, आई0एस0सी0	नैत्यिक लिपिक
श्री विष्णु नारायण गोले, एम0ए0	"
श्री लक्ष्मी कान्त शर्मा, एम0ए0, बी0लिब0	"
श्री महेन्द्र प्रसाद, बी0ए0, सी0लिब0 साइंस	"
श्री नाज मियां, बी0ए0	"
श्री दिनेश कुमार, एम0ए0	"
श्री होरी लाल, एम0ए0, बी0एड0	"
श्री हेम सिंह, एम0ए0	"
श्री अनिल कुमार शर्मा, बी0ए0	"
श्री राकेश बाबू	"
श्री प्रेम प्रकाश यादव, बी0ए0	"
श्री विनोद कुमार	"
श्रीमती सतरूपा रानी	"
रिक्त.......1	

प्रयोगशाला स्टाफ

रसायन विज्ञान

श्री राम प्रकाश, साहित्यरत्न	सहायक
श्री रईस मियां, बी0ए0	"
श्री अशोक कुमार	"
श्री नीरज कुमार	"

भौतिक विज्ञान

श्री विनोद कुमार, एम0एस–सी0	सहायक
श्री उमेश बाबू	

प्राणि विज्ञान

श्री अनिल कुमार सिंह, बी0एस–सी0, एल–एल0बी0	सहायक
श्री तरूण वर्मा	
रिक्त 01........	"

वनस्पति विज्ञान

श्री कमलेश कुमार पाण्डेय, एम0ए0, एल–एल0बी0	सहायक
श्री आदेश सिंह चौहान, एम0ए0	"
श्री मो0 नजीर सिद्दीकी, एम0ए0बी0एड0	"

सैन्य अध्ययन

श्री जनार्दन आचार्य, बी0ए0	सहायक
डॉ0 गोपाल दास टण्डन, एम0ए0,पी–एच0डी0	"

सांख्यिकी

श्री अनिल कुमार सिन्हा	सहायक

संगीत

श्री गुरमीत सिंह मनकन, एम0ए0,एम0म्यूज0,डि0सी0पी0	तबला संगतकार

प्रवेश समितियां

मुख्य समन्वयक प्रवेश–श्री जे0ए0 वाजिद, प्रभारी, भौतिकी विभाग

इस सत्र में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु गठित समितियां निम्नवत् हैं–

कला संकाय के समस्त प्रवेशों के मुख्य संयोजक, डॉ0 बी0बी0 लाल होंगे

बी0ए0 (प्रथम वर्ष) सामान्य श्रेणी :–
प्रवेश स्थान–अर्थशास्त्र विभाग

डॉ0 चारू मेहरोत्रा	संयोजक
डॉ0 (श्रीमती) दाीप्ति जौहरी	सदस्य
डॉ0 रबीन्द्र बंसल	"
डॉ0 (श्रीमती) मीनाक्षी त्रिपाठी	"
डॉ0 प्रशान्त वशिष्ठ	"
डॉ0 महमूद हुसैन	"
डॉ0 संदीप सिंह बर्मन	"

बी0ए0 (प्रथम वर्ष) ओबीसी श्रेणी :–
प्रवेश स्थान–सभागार

डॉ0 अजय शर्मा	संयोजक
डॉ0 आर0के0 सक्सेना	सदस्य
डॉ0 (श्रीमती) संध्या मिश्रा	"
डॉ0 (श्रीमती) अर्चना गिरि	"
डॉ0 (श्रीमती) परमजीत कौर	"
डॉ0 सदरे आलम	"
डॉ0 नीरजा अस्थाना	"
डॉ0 (श्रीमती) हेमा खन्ना	"
डॉ0 जुबैरूल इस्लाम	"
श्रीमती पूजा गुप्ता	"
डॉ0 भोले राम प्रजापति	"

बी0ए0 (प्रथम वर्ष) एससी/एसटी श्रेणी :–
प्रवेश स्थान–अंग्रेजी विभाग

डॉ0 वी0पी0 सक्सेना	संयोजक
डॉ0 राजन शर्मा	सदस्य
डॉ0 ए0 सी0 त्रिपाठी	"
डॉ0 श्याम पाल मौर्य	"
डॉ0 उमा चरन	"
डॉ0 अहमद तारिक	"
डॉ0 (श्रीमती) जयश्री मिश्रा	"
डॉ0 (श्रीमती) सुविधा शर्मा	"
डॉ0 (श्रीमती) सरोज सक्सेना	"
डॉ0 (श्रीमती) नीरू अग्रवाल	"

बी0ए0 (द्वितीय वर्ष):
प्रवेश स्थान–चीफ प्राक्टर कार्यालय

डॉ0 जोगा सिंह होठी,	संयोजक

बी0ए0 (तृतीय वर्ष):
प्रवेश स्थान–सैन्य अध्ययन विभाग

डॉ0 निर्मल कुमार	संयोजक
डॉ0 एच0पी0 श्रीवास्तव	सदस्य
डॉ0 आर0 के0 भारद्वाज	"
डॉ0 (श्रीमती) मनमीत कौर	"
डॉ0 (श्रीमती) निर्मला जुनेजा	"
डॉ0 डी0आर0 यादव	"

बी0एस–सी0 (गणित ग्रुप) के समस्त कक्षाओं के प्रवेशों के मुख्य संयोजक, डॉ0 आर0 बी0 सिंह होंगे।

बी0एस–सी0(प्रथम वर्ष) गणित समूहः
प्रवेश स्थान–रसायन विभाग

डॉ0 ए0के0 अग्रवाल	संयोजक
डॉ0 (श्रीमती) शचि मित्तल	सदस्य
डॉ0 (श्रीमती) ऋतु अग्रवाल	"
श्री अविनाश अग्रवाल	"
श्री नीरज राठौर	"
डॉ0 शुभ्रा कटारा	"
डॉ0 (श्रीमती) पूनम	"
डॉ0 संदीप सक्सेना	"
डॉ0 भूपेन्द्र सिंह	"

बी0एस–सी0(द्वितीय वर्ष) गणित समूहः
प्रवेश स्थान–चीफ प्राक्टर कार्यालय

डॉ0 जोगा सिंह होठी,	संयोजक

बी0एस–सी0(तृतीय वर्ष) गणित समूहः
प्रवेश स्थान–रसायन विज्ञान विभाग

डॉ0 एस0के0 शर्मा	संयोजक
डॉ0 संजीव सक्सेना	सदस्य
डॉ0 वीरपाल सिंह	"
श्री सुन्दर सिंह	"
डॉ0 (श्रीमती) दिव्या सिंह	"

बी0एस–सी0 (प्राणि ग्रुप) के समस्त कक्षाओं के प्रवेशों के मुख्य संयोजक, डॉ0 एस0पी0 सिंह होंगें।

बी0एस–सी0(प्रथम वर्ष) प्राणि समूहः
प्रवेश स्थान–वनस्पति विज्ञान विभाग

डॉ0 वी0के0 महेन्द्रू	संयोजक
डॉ0 अनुराग मोहन	सदस्य
डॉ0 (श्रीमती) आभा अग्रवाल	"

डॉ0 एन0वी0 सिंह ''
डॉ0 एम0बी0 कल्हंस ''
डॉ0 (श्रीमती) संगीता कमथान ''
डॉ0 (श्रीमती) संगीता सिंह (जन्तु विज्ञान) ''
डॉ0 राकेश कुमार आजाद ''
डॉ0 राजेन्द्र सिंह ''
डॉ0 ए0पी0 सिंह ''

बी0एस–सी0(द्वितीय वर्ष) प्राणि समूहः
प्रवेश स्थान–चीफ प्राक्टर कार्यालय

डॉ0 जोगा सिंह होठी, संयोजक

बी0एस–सी0(तृतीय वर्ष) प्राणि समूहः
प्रवेश स्थान–जन्तु विज्ञान विभाग

डॉ0 पी0 के0 शर्मा संयोजक
डॉ0 ए0 डी0 श्रीवास्तव सदस्य
डॉ0 (श्रीमती) रंजना सक्सेना ''
डॉ0 (श्रीमती) सुनीता शर्मा ''
डॉ0 (श्रीमती) अनुपम आनन्द ''
डॉ0 आलोक कुमार खरे ''
डॉ0 सुनील कुमार ''

वाणिज्य संकाय के समस्त प्रवेशों के मुख्य संयोजक, डॉ0 आई0सी0 कश्यप होंगे।

बी0काम0 (प्रथम वर्ष):
प्रवेश स्थान–वाणिज्य विभाग

डॉ0 ए0के0 सक्सेना संयोजक
डॉ0 पी0के0 अग्रवाल सदस्य
डॉ0 राजीव मेहरोत्रा ''
डॉ0 ओमकार ''
डॉ0 अनूप कुमार ''

बी0काम0 (द्वितीय वर्ष):
प्रवेश स्थान–चीफ प्राक्टर कार्यालय

डॉ0 जोगा सिंह होठी, संयोजक

बी0काम0 (तृतीय वर्ष):
प्रवेश स्थान–चीफ प्राक्टर कार्यालय

डॉ0 जोगा सिंह होठी, संयोजक

बी0एड0 :
प्रवेश स्थान–बी0एड0 विभाग

विभाग के समस्त प्राध्यापक विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रवेश का कार्य करेंगे।

एम0एड0 :
प्रवेश स्थान–एम0एड0 विभाग

विभाग के समस्त प्राध्यापक विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रवेश का कार्य करेंगे।

विधि संकाय के समस्त प्रवेशों के मुख्य संयोजक, डॉ0 एम0सी0 रस्तोगी होंगे।

विधि (प्रथम वर्ष):
प्रवेश स्थान–विधि विभाग

डॉ0 दीपक आनन्द संयोजक
डॉ0 नसीम अख्तर सदस्य
श्री एच0एस0 पाण्डेय ''
श्री सत्य प्रकाश ''
डॉ0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह ''

विधि (द्वितीय वर्ष):
प्रवेश स्थान–विधि विभाग

श्री वीरेन्द्र सिंह संयोजक
श्री खुर्शीद अली खां सदस्य
डॉ0 प्रदीप कुमार ''

विधि (तृतीय वर्ष):
प्रवेश स्थान–विधि विभाग

श्रीमती एस0 बी0 सिन्हा संयोजक
डॉ0 ए0बी0 कफल्टिया सदस्य

स्नातकोत्तर (एम0ए0/एम0काम0) पूर्वार्द्ध के प्रवेश हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की मैरिट सूची विश्वविद्यालय/शासन के नियमानुसार एवं आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए केन्द्रीय प्रवेश समिति द्वारा तैयार की जायेगी और उसी के अनुसार प्रवेशों को करने के लिए सम्बन्धित विभाग के प्रभारी संयोजक होंगे अथवा प्राचार्य द्वारा नामित वरिष्ठ प्राध्यापक प्रवेश का कार्य सम्पादित करेंगे।

स्नातकोत्तर (एम0ए0/एम0काम0) उत्तरार्द्ध के प्रवेश विभागीय प्रभारियों द्वारा किये जायेंगे।

महाविद्यालय के विभिन्न कार्यों से सम्बन्धित अधिकारियों व प्रभारियों के नाम व दूरभाष नम्बर

डॉ0 आर0 पी0 सिंह,	प्राचार्य	–	94122–93244
श्री जे0 ए0 वाजिद,	मुख्य समन्वयक प्रवेश	–	97562–01485
डॉ0 एम0 सी0 रस्तोगी	डीन स्टूडैन्ट वैलफेयर	–	98375–17755
डॉ0 जोगा सिंह होठी	चीफ प्राक्टर	–	97614–46978
	प्रभारी, क्रीड़ा विभाग		
डॉ0 एस0एम0 सीरिया	क्रीड़ाधिकारी	–	93591–01806
	प्रभारी, हॉट एण्ड कोल्ड		
डॉ0 वेद पाल सिंह	चीफ वार्डन आजाद छात्रावास	–	97595–06506
डॉ0 वेदपाल सिंह :	वार्डन महिला छात्रावास	–	97595–06506
	समन्वयक, इग्नू	–	
डॉ0 आर0बी0 सिंह	समन्वयक, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त वि0वि0	–	94156–08746
डॉ0 ए0डी0 श्रीवास्तव	संयोजक, कैरियर बिल्डिंग स्कीम	–	94116–99706
डॉ0 डी0के0 गुप्ता	संयोजक, स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम	–	94122–90544
डॉ0 (श्रीमती) पूर्णिमा अनिल	संयोजक, शैक्षिक सांस्कृतिक परिषद	–	94124–27772
डॉ0 ए0सी0 त्रिपाठी	सचिव, शैक्षिक सांस्कृतिक परिषद	–	94123–76506
मेजर डॉ0 अनुराग मोहन	एनसीसी अधिकारी (छात्र)	–	94122–89236
लैफ्ट0 डॉ0 पी0के0 वर्मा	एनसीसी अधिकारी (छात्र)	–	94114–69147
लैफ्ट0 डॉ0 वन्दना शर्मा	एनसीसी अधिकारी (छात्रा)	–	98375–73752
लैफ्ट0 डॉ0 नीलम पवार	एनसीसी अधिकारी (छात्रा)	–	99278–88884
डॉ0 एस0पी0 मौर्या	एनएसएस अधिकारी (छात्र)	–	98378–08125
डॉ0 राजेन्द्र सिंह	एनएसएस अधिकारी (छात्र)	–	94121–91749
डॉ0 ओम कार	एनएसएस अधिकारी (छात्र)	–	94121–56993
डॉ0 नीरजा अस्थाना (प्रस्तावित)	एनएसएस अधिकारी (छात्रा)	–	98970–41165
श्रीमती नीलम गुप्ता	एनएसएस अधिकारी (छात्रा)	–	94119–00091
डॉ0 क्षमा द्विवेदी	एनएसएस अधिकारी (छात्रा)	–	94119–18017
डॉ0 दीपक आनन्द	सूचना अधिकारी	–	94122–90024
डॉ0 आरिफ नदीम	संयोजक, टाईम टेबिल	–	98976–08566
डॉ0 नसीम अख्तर	प्रभारी स्थापना	–	94124–89290
श्री वी0 डी0 यादव	पुस्तकालय अध्यक्ष	–	94128–22420
श्री ए0के0जी0 पट्टादार	बर्सर	–	99270–82286
श्री अंजुम आदिल	कार्यवाहक का0 अधीक्षक	–	98976–08555
डॉ0 नवीन चन्द्र उप्रेती	निजी सचिव, प्राचार्य	–	94127–38044
डॉ0 विक्रम सिंह यादव	सहायक लेखाकार	–	94114–26055

नव चिन्तकों से..........................

'सा विद्या या विमुक्तये' के दार्शनिक तत्व से अनुप्राणित और **'सर्वेषाम् श्रेयसे विद्या'** से संकल्पित बरेली कालेज, बरेली देश की प्राचीनतम शिक्षा संस्थानों में से एक है और पीढ़ी दर पीढ़ी सृजन में इसका विशिष्ट इतिहास है। सन् 1837 में स्थापित बरेली कालेज, बरेली ने लगभग 170 वर्षों से अधिक की समयावधि में शिक्षा व समाज के सन्दर्भों का पूरी गहराई से अध्ययन करते हुए अपनी भूमिका को एक संस्कृति में गढ़ते देखा है।

यह कालेज आज लगभग 25000 संस्थागत विद्यार्थियों को प्रकाश दे रहा है तथा लगभग समस्त विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर में अध्ययन व शोध की सम्यक सुविधा उपलब्ध कराता है। इसके पास विद्वान शिक्षक तथा कर्मठ कार्यालय स्टाफ है।

आपके प्रवेश से इस गौरवशाली शिक्षा संस्था में हम प्रसन्न हैं जहां आपके समग्र निर्माण के प्रति संवेदनशील भी, वही आप से कुछ अति आवश्यक अपेक्षायें भी करते हैं, वह यह है कि आपको सदैव यह ध्यान रहे कि जहां आप एक व्यक्ति हैं वही हमसे सम्बन्ध के बाद आप पूरी एक संस्था भी है। आपकी सोच, आपकी योग्यता, आपकी रचनात्मकता और आपका व्यवहार इस महान संस्था के गौरव से जुड़ा हुआ है। मेरा सुझाव व आदेश दोनों ही हैं कि आप प्रवेश के क्षण ही आप इसके गौरव व मान की श्रीवृद्धि का संकल्प लें, जो इससे जुड़े रहने के दिनों में आप पर ऋण होगा और उसे चुकाना–आपका धर्म। गम्भीर तथ्य यह है कि शिक्षा संस्थान वस्तुतः अपने छात्रों व प्राध्यापकों से ही छवि का रेखाचित्र पाते हैं।

170 वर्षों से अधिक लम्बे काल में इस संस्था ने अनेक योग्य शिक्षक, राजनेता, खिलाड़ी, विचारक, वैज्ञानिक साहित्यकार तथा अन्यान्य रत्नों को जना है और वही इसका सच्चा परिचय है। **'असतो मा सद्गमय'** की प्रार्थना बलवती हो, यही चिर कामना है। गौरवशाली अतीत व परम्पराओं से सिक्त इस महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। **'समस्त गति'** संघर्ष व मेधा तथा कौशल का लक्ष्य एक ही तो है–आत्मपूर्ण व पर्याप्त होना। शिक्षा अद्वैत दर्शन कराते हुए इसी पूर्णता को प्राप्त करने का एक प्रभावी उपकरण है। यह भी तत्व की बात है कि शिक्षा यह नहीं है कि 'हमने क्या सीखा? अपितु शिक्षा यह है कि हम क्या हो गये?

अनुशासन, सृजन व स्नेह हमारे कालेज की परंपरा है। विद्वान प्राध्यापक आपकी समस्त चिन्तन अभीप्सा को संतुष्ट करने हेतु कृत–संकल्प है। सक्षम प्रशासन सभी आवश्यक सुविधाओं को सुरूचिपूर्ण स्तर तक उपलब्ध कराने के लिए गतिशील है। यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि स्नेह व सौजन्य के साथ–साथ अप्रिय व अशोभनीय तथा अमर्यादित आचरण को हम दण्डित करने में सर्वथा कोई संकोच नहीं करते। इस शिक्षा संस्थान में किसी प्रकार के अनावश्यक दबाव या नियम के प्रतिकूल प्रयास को प्रोत्साहन देने से बचें तथा अनुशासन में सहयोग दें और अपने संस्थान की गरिमा को शीर्ष पर ले जाने का उपाय करें।

आज जब सामाजिक–आर्थिक वातावरण में परिवर्तन हो रहा है तथा परस्पर प्रमाणिकता व जिम्मेदारी का व्यापक संकट हमें घेर रहा है, तब आईये इस प्रमाणिकता को पूर्ण यौवन तक ले जाने की प्रार्थना इसी सनातन संस्थान से इसी क्षण से प्रारम्भ करें। विश्वास है कि आप अपनी सार्थक उच्च शिक्षा पूर्ण करेंगे और अपने भीतर बैठे बोध का पूर्ण जागरण करेंगे।

मंगलमय कामनाओं के साथ,

(आर0 पी0 सिंह)
डी0लिट0
प्राचार्य,
बरेली कालेज, बरेली।

बरेली कालेज, बरेली

संस्था में रैगिंग पूर्णतः निषेध है, यदि कोई रैगिंग करने अथवा उसके प्रचार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दोषी पाया गया अथवा रैगिंग प्रचार के षडयंत्र में दोषी पाया गया तो उसे विनियम तथा देश के कानून के अनुसार दण्डित किया जायेगा। महाविद्यालय में रैगिंग विरोधी दल निम्नवत् गठित है :–

रैगिंग विरोधी दल

डॉ0 आर0 पी0 सिंह	:	प्राचार्य	दूरभाष नं0	0581–2567808, 2568844
डॉ0 एम0सी0 रस्तोगी	:	डीएसडब्ल्यू	मो0 नं0	9837775177
डॉ0 जोगा सिंह होठी	:	चीफ प्राक्टर	मो0 नं0	9761446978
श्री बीरेन्द्र सिंह	:	प्राक्टर	मो0 नं0	9412544104
डॉ0 वेदपाल सिंह	:	प्राक्टर / वार्डन	मो0 नं0	9759506506
डॉ0 नूरूल हक	:	प्राक्टर	मो0 नं0	9358395392
श्री नीरज राठौर	:	प्राक्टर	मो0 नं0	9412446082
डॉ0 भूपेन्द्र सिंह	:	प्राक्टर	मो0 नं0	9412302855
डॉ0 (श्रीमती) मनमीत कौर	:	प्राक्टर	मो0 नं0	9837535608
डॉ0 (श्रीमती) शालिनी त्यागी	:	प्राक्टर	मो0 नं0	9411845333
श्रीमती रेनू चौधरी	:	प्राक्टर	मो0 नं0	9412737857
डॉ0 वेदपाल सिंह	:	वार्डन महिला छात्रावास	मो0 नं0	9759506506

रैगिंग शिकायत टोल फ्री हेल्पलाहन नं0–18001805522, 155222

हेल्पलाइन

सम्पर्क करने का समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक

कालेज कार्यालय	:	(0581) 2567808
		2568844
		2567805
फैक्स नं0	:	(0581) 2567808
कालेज वैबसाइट	:	**http://www.bareillycollege.org.**